



बिहार सरकार
वित्त विभाग

जेन्डर बजट

2017-2018

(मार्च 2017)

क्र० सं०	विषय सूची	पृष्ठ सं०
1	प्राक्कथन	1-3
2	जेण्डर बजट 2017-18 विभागवार विवरणी	4
3	जेण्डर बजट 2017-18 विभागवार विवरणी (स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय)	5
4	जेण्डर बजट 2017-18 विभागवार विवरणी (राज्य स्कीम)	6
5	जेण्डर बजट 2017-18 विभागवार विवरणी (केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम)	7
6	समाज कल्याण विभाग	8-12
7	अनु० जाति एवं अनु० जनजाति कल्याण विभाग	13-16
8	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	17-19
9	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	20
10	शिक्षा विभाग	21-27
11	स्वास्थ्य विभाग	28-29
12	ग्रामीण विकास विभाग	30-32
13	नगर विकास एवं आवास विभाग	33
14	पंचायती राज विभाग	34
15	श्रम संसाधन विभाग	35
16	पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	36
17	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	37
18	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	38
19	उद्योग विभाग	39-40
20	कृषि विभाग	41-48
21	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	49
22	भवन निर्माण विभाग	50
23	गृह विभाग	51
24	पर्यटन विभाग	51

प्राक्कथन

महिलाएं राज्य की जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा है, उनके विकास के बगैर सम्पूर्ण समाज का विकास संभव नहीं है। राज्य का असली विकास तभी संभव है जब महिला विकास में भागीदार बने। महिलाओं से संबंधित लगभग सभी विकास संकेतक पुरुषों की तुलना में खराब है। बिहार के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े इस प्रकार हैं :-

क्र. सं.	बिहार में महिला एवं पुरुष के तुलनात्मक विकास संकेतक				
	संकेतक	बिहार		भारत	
		पुरुष	महिला	पुरुष	महिला
1.	साक्षरता प्रतिशत (2011)	71.2	51.5	80.9	64.6
2.	लिंग अनुपात - सभी आयु वर्ग (2011)	1000	918	1000	943
3.	लिंग अनुपात - (0-6 वर्ष) (2011)	1000	935	1000	919
4.	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (2010-14)	67.8	68.4	66.4	69.6
5.	महिलाओं का बॉडी-मास संकेतक (औसत से कम) 2005-06)	-	45.1	-	35.6
6.	महिला में रक्तहीनता (15-49 वर्ष) (2005-06)	-	67.4	-	55.3
7.	महिलाओं की विवाह का औसत आयु (2013)	-	21.1	-	21.3
8.	मातृत्व मृत्यु दर (2011-13)	-	208	-	167
9.	संस्थागत प्रसव (2015)	-	76.4	-	86.9
10.	नवजात शिशु मृत्यु दर (प्रति हजार जन्म) (2014)	39	46	37	40
11.	प्रजनन दर (2014)	-	3.2	-	2.3
12.	सकल नामांकन दर (2015) (I-VIII)	95.5	105.4	94.8	99.24
13.	कार्य सहभागिता दर (2011)	46.47	19.1	53.3	25.5
14.	बैंक खाताधारी महिलाएं (प्रतिशत में) (2015-16)	-	26.4	-	-
15.	मकान/जमीन का स्वामित्व में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिशत में) (2015-16)	-	58.8	-	-
16.	घरेलू निर्णय में महिलाओं की भागीदारी (प्रतिशत में) (2015-16)	-	75.2	-	-

स्रोत : क्र.सं. 1,2,3 एवं 13 जनगणना 2011 (भारत सरकार), 4,7,8,10 एवं 11-प्रतिदर्श निबंधन प्रणाली, 5,6,14,15 एवं 16-राष्ट्रीय पारिवारिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण, 9- स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (भारत सरकार) तथा 12-डाइस।

महिलाओं को मुख्यधारा से जोड़ने तथा उनके विरुद्ध होने वाले भेद-भावों को दूर करने के लिए राज्य सरकार ने कई उपाय किए हैं। पंचायती राज, नगर निकाय एवं सहकारी समितियों में राज्य सरकार द्वारा महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था किये जाने से जहाँ एक ओर महिलाओं की भागीदारी बढ़ी है, वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार द्वारा राज्य की सभी नौकरियों में महिलाओं को 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिये जाने से महिलाओं को विकास में भागीदार बनाने, समुचित सम्मान देने, नियोजन के अवसर उपलब्ध कराने तथा सुरक्षित सामाजिक संवेदी वातावरण उपलब्ध कराने हेतु राज्य सरकार दृढ़ संकल्पित है।

- ❖ राज्य सरकार महिलाओं के सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण हेतु कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की शुरुआत की है। जीवन के प्रत्येक पहलुओं, यथा-पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, क्षमतावर्धन आदि के विकास हेतु प्रतिबद्धता के साथ प्रसार कर रही है तथा उनके समग्र विकास के लिए विभिन्न योजनाओं, कार्यक्रमों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना, मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, बालिका पोशाक योजना, बालिका साईकिल योजना समेत दर्जनों योजनाएं चलाकर महिलाओं को सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक रूप से सबल करने का प्रयास किया जा रहा है।
- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पुनर्गठन के बाद राज्य सरकार आजीविका कौशल एवं महिला किसान सशक्तीकरण परियोजना का क्रियान्वयन कर रही है। इसके द्वारा योजना के तहत गरीब महिलाओं द्वारा उद्यम शुरू करने के लिए दिए गए ऋण के ब्याज पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त छूट दी गई है।
- ❖ महिलाओं के नाम पर निबंधित और उनके द्वारा संचालित तिपहियों, टैक्सी, मोटर कैब और मैक्सी कैब पर वाहन कर से शत-प्रतिशत छूट स्वीकृत की गई है।
- ❖ राज्य सरकार ने बिहार सशस्त्र बल में नई महिला बटालियन तैयार करने और राज्य के सभी जिलों में महिला थाना स्थापित करने का निर्णय लिया है। पुलिस बल में सिपाही के पदों पर सीधी बहाली और कनीय निरीक्षक नियुक्त करने के मामले में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण दिया जाता है। अनुसूचित जाति की महिलाओं को लेकर एक विशेष बटालियन स्थापित करने का भी प्रस्ताव है।
- ❖ पीड़ित महिलाओं की सहायता के लिहाज से हेल्पलाइन और अन्य सेवा प्रदाताओं के सहयोग से मामलों के शीघ्र निष्पादन के लिए सामुदायिक स्तर पर रेफरल इकाई स्थापित की जानी है।
- ❖ महिला विकास निगम ने लैंगिक संसाधन केन्द्र की स्थापना की है जो कुशलता से काम कर रहा है और विभिन्न विभागों के सहयोग से लैंगिक संवेदनीकरण कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कर रहा है। हाल में महिला विकास निगम को समाज कल्याण विभाग द्वारा जेंडर बजट के लिए नोडल अभिकरण नामित किया गया है।
- ❖ घरेलू हिंसा की शिकार महिलाओं को मुफ्त मनोवैज्ञानिक और कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना के तहत बिहार के सभी 38 जिलों में महिला हेल्पलाइन स्थापित किये गये हैं।

सरकार द्वारा यह प्रयास किया जा रहा है कि तमाम कार्यक्रमों एवं योजनाओं को इस तरह बनाया जाय कि वे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं के प्रति संवेदनशील हो । इसी के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2008-09 से जेंडर बजटिंग की शुरुआत की गयी है । इस व्यवस्था में निम्नलिखित मुख्य बिन्दु उल्लेखनीय हैं ।

- प्रत्येक क्षेत्र को महिलाओं के नजरिये से देखा जाये और तदनुसार बजट में यथासम्भव प्रावधान किये जायें ।
- यह आवश्यक नहीं है कि व्यय महिलाओं के लिए ही किया जाय वरन् यह आवश्यक है कि ऐसे व्यय से या कार्यक्रमों से महिलाओं की स्थिति में सुधार होता हो अथवा उनको लाभ पहुंचता हो । उदाहरणार्थ पेयजल, सफाई एवं बच्चों का स्वास्थ्य महिलाओं के लिए सीधे कर्णांकित नहीं है, लेकिन इसका सीधा प्रभाव महिलाओं की स्थिति सुधारने में होता है, चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं का काफी समय एवं शक्ति इन कार्यों में खर्च होती है । इस विवरण में महिलाओं की स्थिति सुधारने वाली योजनाओं के लिए प्रावधानों को दो श्रेणियों में दर्शाया गया है।

श्रेणी-1 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें 100 प्रतिशत प्रावधान महिलाओं के लाभ के लिये है ।

श्रेणी-2 में ऐसी योजनायें हैं जिनमें महिलाओं के लाभ के लिए कुल प्रावधान का कम से कम 30 प्रतिशत प्रावधान है ।

जेंडर बजटिंग अभी पूर्ण रूप से परिभाषित नहीं हुआ है । इसमें कुछ कमियां हो सकती है । लेकिन धीरे-धीरे इसकी बेहतर समझ होती जा रही है । पिछले बजटों में लैंगिक संवेदनशीलता के प्रति जागरुकता बढ़ने के साथ-साथ विभागों द्वारा कार्यक्रमों के उद्देश्यों, क्रियान्वयन संबंधी दिशा निर्देशों, वित्तीय कसौटियों को महिलाओं के अनुकूल बनाने का प्रयास किया जा रहा है । राज्य सरकार महिलाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कृतसंकल्पित है ।

जेन्डर बजट 2017-2018 विभागवार विवरणी

(राशि लाख में)

क्र०	मांग सं०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
			बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	51	समाज कल्याण विभाग	478084.78	192582.62	43609.98	529246.92	210107.45	58009.98	559116.77	269720.62	28077.20
2	44	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	156879.93	46550.50	0.00	156879.93	46550.50	0.00	118168.71	36454.98	0.00
3	36	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	132637.00	39791.10	0.00	117561.00	35268.30	0.00	200139.33	60041.81	0.00
4	30	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	5621.12	1626.34	200.00	12528.12	3698.44	200.00	11603.00	2820.90	2200.00
5	21	शिक्षा विभाग	1580963.37	443669.88	30936.05	1664796.51	475230.21	66536.05	1768145.88	532509.82	28304.14
6	20	स्वास्थ्य विभाग	217663.32	0.00	189013.84	217673.32	0.00	189013.84	145767.93	1493.40	133235.82
7	42	ग्रामीण विकास विभाग	505942.33	65088.11	288981.95	871694.33	80110.91	604657.95	927297.37	86860.00	637764.04
8	48	नगर विकास एवं आवास विभाग	1215.00	607.50	0.00	1215.00	607.50	0.00	800.00	400.00	0.00
9	16	पंचायती राज विभाग	33500.00	16750.00	0.00	33500.00	16750.00	0.00	37500.00	18750.00	0.00
10	26	श्रम संसाधन विभाग	1180.00	12.00	550.00	1180.00	12.00	550.00	1043.07	0.00	450.00
11	11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	195418.86	58342.80	1016.20	156965.86	46806.90	1016.20	149323.55	44595.04	1073.43
12	40	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	2075.08	0.00	2075.08	2075.08	0.00	2075.08	2606.57	0.00	2606.57
13	8	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	3874.53	1162.36	0.00	3874.53	1162.36	0.00	4845.10	1453.53	0.00
14	23	उद्योग विभाग	58208.80	6386.80	0.00	58208.80	6386.80	0.00	57263.80	17149.14	0.00
15	1	कृषि विभाग	217981.00	64692.30	0.00	219284.85	65785.47	0.00	220712.42	66213.75	0.00
16	43	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	210.04	89.08	98.69	210.04	89.08	98.69	400.59	241.52	98.69
17	3	भवन निर्माण विभाग	31743.84	7723.15	0.00	32743.84	7723.15	0.00	59200.00	19300.00	0.00
18	22	गृह विभाग	15198.57	6147.82	0.00	14198.57	5743.32	0.00	14153.31	5725.01	0.00
19	46	पर्यटन विभाग	2751.21	0.00	0.00	7051.21	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00
कुल योग-			3641148.78	951222.36	556481.79	4100887.91	1002032.39	922157.79	4285234.57	1165873.67	833809.89

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं।

जेन्डर बजट 2017-2018 विभागवार विवरणी
स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	337.59	0.00	337.59	849.98	0.00	849.98	849.98	0.00	849.98	1037.75	0.00	1037.75
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	12251.04	3671.63	0.00	15574.93	4159.00	0.00	15574.93	4159.00	0.00	14444.86	3820.16	0.00
3	शिक्षा विभाग	467966.80	140059.30	1102.38	611710.94	177134.07	935.99	611710.94	187968.03	935.99	630211.15	194717.65	1204.09
4	स्वास्थ्य विभाग	5935.08	0.00	5282.51	8649.48	0.00	0.00	8659.48	0.00	0.00	8649.48	0.00	1095.37
5	पंचायती राज विभाग	3939.57	1969.78	0.00	7500.00	3750.00	0.00	7500.00	3750.00	0.00	7500.00	3750.00	0.00
6	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	854.63	0.00	854.63	1016.20	0.00	1016.20	1016.20	0.00	1016.20	1073.43	0.00	1073.43
7	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	584.15	175.24	0.00	1394.53	418.36	0.00	1394.53	418.36	0.00	1405.10	421.53	0.00
8	विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग	68.52	0.00	68.52	98.69	0.00	98.69	98.69	0.00	98.69	98.69	0.00	98.69
	कुल योग-	491937.38	145875.95	7645.63	646794.75	185461.43	2900.86	646804.75	196295.39	2900.86	664420.46	202709.34	4509.33

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2017-2018 विभागवार विवरणी

राज्य स्कीम

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	समाज कल्याण विभाग	513899.48	197297.62	52222.27	477234.80	192582.62	42760.00	528396.94	210107.45	57160.00	558079.02	269720.62	27039.45
2	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	130479.51	32753.18	0.00	131055.00	39316.50	0.00	131055.00	39316.50	0.00	98713.85	31131.82	0.00
3	लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग	80969.76	24290.92	0.00	132637.00	39791.10	0.00	117561.00	35268.30	0.00	200139.33	60041.81	0.00
4	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	20966.02	6289.81	0.00	5621.12	1626.34	200.00	12528.12	3698.44	200.00	11603.00	2820.90	2200.00
5	शिक्षा विभाग	885034.46	240612.57	68577.56	969252.43	266535.81	30000.06	1053085.57	287262.18	65600.06	1137934.73	337792.17	27100.05
6	स्वास्थ्य विभाग	56688.70	0.00	25218.96	209013.84	0.00	189013.84	209013.84	0.00	189013.84	137118.45	1493.40	132140.45
7	ग्रामीण विकास विभाग	320549.35	46990.51	163914.32	505942.33	65088.11	288981.95	871694.33	80110.91	604657.95	927297.37	86860.00	637764.04
8	नगर विकास एवं आवास विभाग	254.61	127.30	0.00	1215.00	607.50	0.00	1215.00	607.50	0.00	800.00	400.00	0.00
9	पंचायती राज विभाग	17566.97	8783.49	0.00	26000.00	13000.00	0.00	26000.00	13000.00	0.00	30000.00	15000.00	0.00
10	श्रम संसाधन विभाग	552.88	107.32	195.14	1180.00	12.00	550.00	1180.00	12.00	550.00	1043.07	0.00	450.00
11	पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग	256987.34	76986.70	0.00	194402.66	58342.80	0.00	155949.66	46806.90	0.00	148250.12	44595.04	0.00
12	राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग	1221.69	0.00	1221.69	2075.08	0.00	2075.08	2075.08	0.00	2075.08	2606.57	0.00	2606.57
13	कला, संस्कृति एवं युवा विभाग	1081.35	324.41	0.00	2480.00	744.00	0.00	2480.00	744.00	0.00	3440.00	1032.00	0.00
14	उद्योग विभाग	72150.11	1129.22	0.00	58208.80	6386.80	0.00	58208.80	6386.80	0.00	57263.80	17149.14	0.00
15	कृषि विभाग	128531.23	31823.65	0.00	217981.00	64692.30	0.00	219284.85	65785.47	0.00	219225.45	65767.66	0.00
16	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	58.54	26.93	0.00	111.35	89.08	0.00	111.35	89.08	0.00	301.90	241.52	0.00
17	भवन निर्माण विभाग	9561.34	2970.89	0.00	31743.84	7723.15	0.00	32743.84	7723.15	0.00	59200.00	19300.00	0.00
18	गृह विभाग	19716.04	7975.14	0.00	15198.57	6147.82	0.00	14198.57	5743.32	0.00	14153.31	5725.01	0.00
19	पर्यटन विभाग	3759.08	0.00	0.00	2751.21	0.00	0.00	7051.21	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00
कुल योग-		2520028.46	678489.66	311349.94	2984104.03	762685.93	553580.93	3443833.16	802662.00	919256.93	3614317.14	961215.24	829300.56

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्षों में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

जेन्डर बजट 2017-2018 विभागवार विवरणी
केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम

(राशि लाख में)

क्र०	विभाग का नाम	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
		बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग	8103.14	2430.94	0.00	10250.00	3075.00	0.00	10250.00	3075.00	0.00	5010.00	1503.00	0.00
2	कृषि विभाग	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1486.97	446.09	0.00
कुल योग-		8103.14	2430.94	0.00	10250.00	3075.00	0.00	10250.00	3075.00	0.00	6496.97	1949.09	0.00

* कुल योग में प्रदर्शित राशि में वैसे उपशीर्षों का योग है जिन उपशीर्ष में जेन्डर बजट के आंकड़े सम्मिलित किये गये हैं ।

समाज कल्याण निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	राज्य सदन एवं संरक्षण आश्रम-गृह	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	51-2235021040001	108.59	0.00	108.59	199.98	0.00	199.98	199.98	0.00	199.98	187.75	0.00	187.75
2	अन्तर्जातीय विवाह	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	51-2235028000002	79.00	0.00	79.00	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	700.00	0.00	700.00
3	बिहार राज्य महिला आयोग	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	51-2235021030003	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00	150.00	0.00	150.00
4	महिला विकास निगम सहायक अनुदान	राज्य स्कीम	51-2235021030105	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	50.00	0.00	50.00
5	प्रदर्शनी सेमिनार, सम्मेलन	राज्य स्कीम	51-2235022000106	3.56	1.07	0.00	20.00	6.00	0.00	20.00	6.00	0.00	1.00	0.30	0.00
6	मुख्य मंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890107	660.83	0.00	660.83	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	250.00	0.00	250.00
7	मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890108	0.00	0.00	0.00	1060.00	0.00	1060.00	1060.00	0.00	1060.00	75.00	0.00	75.00
8	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य स्कीम	51-2235021030109	1888.58	0.00	1888.58	2019.00	0.00	2019.00	2019.00	0.00	2019.00	711.57	0.00	711.57
9	मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890109	0.00	0.00	0.00	615.00	0.00	615.00	615.00	0.00	615.00	50.00	0.00	50.00
10	नारी शक्ति योजना	राज्य स्कीम	51-2235021030110	0.00	0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	100.00	0.00	100.00
11	कन्या सुरक्षा योजना	राज्य स्कीम	51-2235021030111	0.00	0.00	0.00	585.00	0.00	585.00	585.00	0.00	585.00	50.00	0.00	50.00
12	विभिन्न संस्थाओं के लिए क्षेत्रीय पदाधिकारियों क	राज्य स्कीम	51-2235021010111	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	1.00	0.30	0.00
13	परवरिश	राज्य स्कीम	51-2235021020116	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	150.00	45.00	0.00
14	मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना	राज्य स्कीम	51-2235027960123	43.30	0.00	43.30	381.00	0.00	381.00	381.00	0.00	381.00	307.10	0.00	307.10
कुल योग-				2933.86	1.07	2930.30	9139.98	159.00	8609.98	9639.98	309.00	8609.98	2783.42	45.60	2631.42

आई० सी० डी० एस०

आई0 सी0 डी0 एस0

क्र0	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ऑगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों	राज्य स्कीम	51-2235027890103	1478.52	702.29	0.00	800.00	380.00	0.00	800.00	380.00	0.00	2500.94	825.31	0.00
2	स्वस्थ-पोषण से संबंधित निगरानी	राज्य स्कीम	51-2235021030113	7454.51	0.00	7454.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	ऑगनवाड़ी केन्द्रों के बच्चों के	राज्य स्कीम	51-2235021020117	6724.97	3194.36	0.00	2400.00	0.00	0.00	2400.00	1140.00	0.00	7503.00	3563.93	0.00
4	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236021010203	46388.33	26441.35	0.00	59663.88	34008.41	0.00	59663.88	34008.41	0.00	70691.50	40294.16	0.00
5	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236027890204	0.00	0.00	0.00	38418.54	21898.57	0.00	33680.68	19197.99	0.00	23563.84	13431.39	0.00
6	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	राज्य स्कीम	51-2235021030219	2961.46	0.00	2961.46	7016.00	0.00	7016.00	7016.00	0.00	7016.00	5153.46	0.00	5153.46
7	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2235021020222	32487.81	22091.71	0.00	68417.38	46523.82	0.00	68417.38	46523.82	0.00	71563.25	49378.64	0.00
8	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	राज्य स्कीम	51-2235021020224	1040.50	0.00	1040.50	13301.00	0.00	13301.00	13301.00	0.00	13301.00	154.01	0.00	154.01
9	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236021010303	26456.01	15079.93	0.00	841.00	479.37	0.00	841.00	479.37	0.00	26940.91	15356.32	0.00
10	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236027890304	33407.17	19042.09	0.00	21089.96	12021.28	0.00	21089.96	12021.28	0.00	48692.00	27754.44	0.00
11	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2236027960305	1629.20	928.64	0.00	7247.94	4131.33	0.00	7247.94	4131.33	0.00	8776.96	5002.87	0.00
12	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	राज्य स्कीम	51-2235027890312	139.41	0.00	139.41	51.00	0.00	51.00	1411.69	0.00	1411.69	1275.66	0.00	1275.66
13	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	राज्य स्कीम	51-2235027890313	345.16	0.00	345.16	40.00	0.00	40.00	693.26	0.00	693.26	858.91	0.00	858.91

आई० सी० डी० एस०

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
14	इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला शक्तिकरण मिशन	राज्य स्कीम	51-2235021030319	1407.38	0.00	1407.38	40.00	0.00	40.00	1386.74	0.00	1386.74	2576.73	0.00	2576.73
15	एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस)	राज्य स्कीम	51-2235021020322	33799.34	26025.49	0.00	6836.10	4511.83	0.00	17836.10	14447.24	0.00	51586.17	41052.27	0.00
16	किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गांधी स्कीम (सबला)	राज्य स्कीम	51-2235021020324	533.14	0.00	533.14	52.00	0.00	52.00	3091.31	0.00	3091.31	3827.01	0.00	3827.01
कुल योग-				196252.91	113505.86	13881.56	226214.80	123954.61	20500.00	238876.94	132329.44	26900.00	325664.35	196659.33	13845.78

समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	वृद्धावस्था पेंशन	राज्य स्कीम	51-2235601020101	2650.00	795.00	0.00	800.00	240.00	0.00	1500.00	450.00	0.00	3150.00	1049.90	0.00
2	लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235607890102	8548.00	0.00	8548.00	3000.00	0.00	3000.00	4500.00	0.00	4500.00	3475.00	0.00	3475.00

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
3	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	राज्य स्कीम	51-2235022000103	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	300.00	99.99	0.00
4	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235607890103	7705.25	2311.58	0.00	2500.00	750.00	0.00	3900.00	1170.00	0.00	3400.00	1133.22	0.00
5	कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना	राज्य स्कीम	51-2235027890104	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	100.00	33.33	0.00
6	बिहार राज्य विकलांगता सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235601020104	24500.00	7350.00	0.00	7500.00	2250.00	0.00	13800.00	4140.00	0.00	9200.00	3066.36	0.00
7	बिहार सामाजिक संरक्षण परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित)	राज्य स्कीम	51-2235021040104	1780.00	534.00	0.00	9580.00	2874.00	0.00	9580.00	2874.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235607890104	843.60	253.08	0.00	300.00	90.00	0.00	400.00	120.00	0.00	1095.00	364.96	0.00
9	मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना	राज्य स्कीम	51-2235022000105	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00	60.00	20.00	0.00
10	लक्ष्मी बाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235601020105	27200.00	0.00	27200.00	7500.00	0.00	7500.00	14000.00	0.00	14000.00	8125.00	0.00	8125.00
11	बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना	राज्य स्कीम	51-2235021040106	990.00	297.00	0.00	500.00	150.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	200.00	66.66	0.00
12	निर्धनों एवं निराश्रितों का कल्याण	राज्य स्कीम	51-2235021010106	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00	1.00	0.33	0.00
13	मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना	राज्य स्कीम	51-2235021040107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	6.67	0.00
14	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	राज्य स्कीम	51-2235027890111	300.00	90.00	0.00	300.00	90.00	0.00	300.00	90.00	0.00	75.00	25.00	0.00
15	बिहार शताब्दी एड्स पीड़ित कल्याण योजना	राज्य स्कीम	51-2210061010113	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	1100.00	330.00	0.00	1.00	0.33	0.00

सामाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना (सम्बल)	राज्य स्कीम	51-2235021010119	600.00	180.00	0.00	650.00	195.00	0.00	650.00	195.00	0.00	225.00	74.99	0.00
17	मुख्यमंत्री तेजाब पीडित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना	राज्य स्कीम	51-2235602000119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.33	0.00
18	मुख्यमंत्री निःशक्तजन विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजना	राज्य स्कीम	51-2235021010121	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	1.00	0.33	0.00
19	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235037960201	2188.37	656.51	0.00	7286.85	2186.06	0.00	7286.85	2186.06	0.00	5612.97	1870.80	0.00
20	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235031020202	3500.00	1050.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	7200.00	2399.76	0.00
21	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235031010204	93172.40	27951.72	0.00	98239.35	29471.81	0.00	113239.35	33971.81	0.00	106613.07	35534.14	0.00
22	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235037890205	26056.08	7816.82	0.00	39223.80	11767.14	0.00	44223.80	13267.14	0.00	46313.96	15436.44	0.00
23	असहाय लोगों के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम	राज्य स्कीम	51-2235021010220	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235031010304	88617.00	26585.10	0.00	44000.00	13200.00	0.00	44000.00	13200.00	0.00	24000.00	7999.20	0.00
25	राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी)	राज्य स्कीम	51-2235037890305	24599.60	7379.88	0.00	15000.00	4500.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00	11500.00	3832.95	0.00
कुल योग-				315050.30	83790.69	35748.00	242730.00	68469.01	14500.00	280730.00	77469.01	22500.00	230669.00	73015.69	11600.00
महायोग-				514237.07	197297.62	52559.86	478084.78	192582.62	43609.98	529246.92	210107.45	58009.98	559116.77	269720.62	28077.20

अनुसूचित जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225011970001	2.20	0.66	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00
2	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225011980001	38.90	11.67	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
3	छात्रावासों का संधारण	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770002	538.43	161.53	0.00	1195.41	358.62	0.00	1195.41	358.62	0.00	994.77	298.43	0.00
4	छात्रवृत्ति/वजीफा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225011970002	11.00	3.30	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00	15.00	4.50	0.00
5	आवासीय विद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770003	7688.21	2306.46	0.00	9469.29	2840.79	0.00	9469.29	2840.79	0.00	9777.66	2933.30	0.00
6	प्रवेशिकोत्तर शिक्षा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770007	1383.78	415.13	0.00	1500.00	450.00	0.00	1500.00	450.00	0.00	200.00	60.00	0.00
7	पुस्तक अधिकोष की स्थापना	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770008	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00	16.00	4.80	0.00
8	नागरिक सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770009	0.00	0.00	0.00	0.10	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00	0.10	0.03	0.00
9	छात्रवृत्तियाँ और वृत्तियाँ	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770011	901.40	270.42	0.00	1085.00	325.50	0.00	1085.00	325.50	0.00	1080.00	324.00	0.00
10	प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225012770012	141.79	42.54	0.00	214.12	64.24	0.00	214.12	64.24	0.00	261.81	78.54	0.00
11	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225011970101	13007.83	3902.35	0.00	15000.00	4500.00	0.00	15000.00	4500.00	0.00	7710.73	2313.22	0.00
12	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225011980101	34927.46	10478.24	0.00	28000.00	8400.00	0.00	28000.00	8400.00	0.00	14391.00	4317.30	0.00
13	शिक्षा	राज्य स्कीम	44-2225012770101	1083.46	0.00	0.00	1500.00	450.00	0.00	1500.00	450.00	0.00	1650.00	495.00	0.00
14	निदेशन और प्रशासन	राज्य स्कीम	44-2225010010101	0.00	0.00	0.00	90.00	27.00	0.00	90.00	27.00	0.00	50.00	15.00	0.00
15	परिवारोन्मुखी आयोत्पादक योजना हेतु 5 प्रतिशत अं	राज्य स्कीम	44-2225011020101	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
16	शिक्षा	राज्य स्कीम	44-2225012770107	29582.15	8874.64	0.00	34000.00	10200.00	0.00	34000.00	10200.00	0.00	13491.00	5009.21	0.00
17	महादलित विकास हेतु	राज्य स्कीम	44-2225011020115	22000.00	6600.00	0.00	25030.00	7509.00	0.00	25030.00	7509.00	0.00	27530.00	8259.00	0.00

अनुसूचित जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
18	बिहार राज्य अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम	राज्य स्कीम	44-4425001080164	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	400.00	120.00	0.00
19	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	राज्य स्कीम	44-2225012770218	19499.80	0.00	0.00	11535.00	3460.50	0.00	11535.00	3460.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20	प्रोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	44-2225012770219	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6000.00	1800.00	0.00
21	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	राज्य स्कीम	44-2225012770221	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.00	366.00	0.00
22	अनुसूचित जाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	44-2225012770222	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4910.00	1473.00	0.00
23	प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना (पी०एम०ए०जी०वाई)	राज्य स्कीम	44-2225011020316	1250.00	375.00	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00	5.00	1.50	0.00
24	अनुसूचित जातियों के विकास हेतु स्कीम	राज्य स्कीम	44-2225012770318	357.96	107.39	0.00	600.00	180.00	0.00	600.00	180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	नागरिक सुरक्षा अधिनियम 1955 के कार्यान्वयन के लिए प्रशासनिक यंत्र का सुदृढीकरण एवं अनु० जाति और अनु०	राज्य स्कीम	44-2225012770321	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1220.00	366.00	0.00
कुल योग-				132530.37	33584.13	0.00	129469.92	38840.98	0.00	129469.92	38840.98	0.00	91038.07	28273.33	0.00

अनुसूचित जन-जाति

अनुसूचित जन-जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	छात्रवृत्तियां और वृत्तियां	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022770001	12.26	0.00	0.00	34.00	10.20	0.00	34.00	10.20	0.00	14.00	4.20	0.00
2	आयुर्वेदिक एवं ठक्कर कुष्ठ निवारण केंद्रों का	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022820001	85.62	25.69	0.00	103.57	31.07	0.00	103.57	31.07	0.00	143.74	43.12	0.00
3	लड़के एवं लड़कियों का छात्रावास	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022770003	43.07	12.92	0.00	165.82	49.75	0.00	165.82	49.75	0.00	165.79	49.74	0.00
4	आवासीय विद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	44-2225022770004	1388.38	416.51	0.00	1711.62	0.00	0.00	1711.62	0.00	0.00	1710.99	0.00	0.00
5	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225021970101	865.53	259.66	0.00	1200.00	360.00	0.00	1200.00	360.00	0.00	2238.00	671.40	0.00
6	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	44-2225021980101	3097.67	929.30	0.00	3600.00	1080.00	0.00	3600.00	1080.00	0.00	6717.12	2015.14	0.00
7	शिक्षा	राज्य स्कीम	44-2225022770101	2320.41	696.12	0.00	3170.00	951.00	0.00	3170.00	951.00	0.00	3705.00	1667.25	0.00
8	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की	राज्य स्कीम	44-2225021020101	0.00	0.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	अनुसूचित जन जातियों के	राज्य स्कीम	44-2225021020102	1668.26	500.48	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	अम्बेदकर फाउण्डेशन	राज्य स्कीम	44-2070000010106	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00	50.00	15.00	0.00
11	थरूहट क्षेत्र विकास	राज्य स्कीम	44-2225027960125	0.00	0.00	0.00	2510.00	753.00	0.00	2510.00	753.00	0.00	2761.00	828.30	0.00
12	अनुसूचित जन जातियों का बहुमुखी विकास-संविधान की धारा 275(1) के अंतर्गत भारत सरकार से प्राप्त	राज्य स्कीम	44-2225021020201	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	540.00	0.00
13	अनुसूचित जन जातियों के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता	राज्य स्कीम	44-2225021020202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1800.00	540.00	0.00
14	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की शिक्षा के लिए अम्ब्रेला स्कीम	राज्य स्कीम	44-2225022770214	718.98	0.00	0.00	1015.00	304.50	0.00	1015.00	304.50	0.00	1015.00	304.50	0.00
15	अनुसूचित जाति के बहुमुखी विकास	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	44-2225017930401	8023.14	2406.94	0.00	10000.00	3000.00	0.00	10000.00	3000.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00

अनुसूचित जन-जाति

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	वनबन्धु कल्याण योजना	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	44-2225027960427	80.00	24.00	0.00	250.00	75.00	0.00	250.00	75.00	0.00	10.00	3.00	0.00
कुल योग-				18303.32	5271.62	0.00	27410.01	7709.52	0.00	27410.01	7709.52	0.00	27130.64	8181.65	0.00
महायोग-				150833.69	38855.75	0.00	156879.93	46550.50	0.00	156879.93	46550.50	0.00	118168.71	36454.98	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	राज्य स्कीम	36-4215011020101	111.23	33.37	0.00	780.00	234.00	0.00	780.00	234.00	0.00	1650.00	495.00	0.00
2	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	राज्य स्कीम	36-4215017890102	9.68	2.90	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	320.00	96.00	0.00
3	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (राज्य स्कीम	36-4215011020103	10336.67	3101.00	0.00	410.00	123.00	0.00	8210.00	2463.00	0.00	10170.00	3051.00	0.00
4	शहरी क्षेत्रों में पेय जलापूर्ति एवं स्वच्छता सुविधा	राज्य स्कीम	36-4215021060104	2370.91	711.27	0.00	300.00	90.00	0.00	300.00	90.00	0.00	3150.00	945.00	0.00
5	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-2215017890104	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3200.00	960.00	0.00
6	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना	राज्य स्कीम	36-4215017890104	150.00	45.00	0.00	547.00	164.10	0.00	547.00	164.10	0.00	445.29	133.59	0.00
7	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-2215017960105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.00	52.80	0.00
8	लोहिया स्वच्छता योजना	राज्य स्कीम	36-4215021060105	2000.00	600.00	0.00	7245.00	2173.50	0.00	2390.00	717.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	क्षेत्र विस्तृत पद्धति द्वारा स्वास्थ्य	राज्य स्कीम	36-2215011020105	4137.69	1241.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गैर गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-2215011020106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16624.00	4987.20	0.00
11	प्राथमिक, मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	राज्य स्कीम	36-4215017890106	13.48	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	ग्रामीण जलापूर्ति योजना (ट्यूबवेल्ल्स, कूप, नलकूप)	राज्य स्कीम	36-4215017960107	272.12	81.64	0.00	10.00	3.00	0.00	210.00	63.00	0.00	200.00	60.00	0.00
13	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का	राज्य स्कीम	36-4215017960109	60.00	18.00	0.00	54.68	16.40	0.00	54.68	16.40	0.00	42.56	12.77	0.00
14	ग्रामीण जलापूर्ति योजना-	राज्य स्कीम	36-4215017890111	2698.38	809.51	0.00	105.00	31.50	0.00	2105.00	631.50	0.00	3630.00	1089.00	0.00
15	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-4215017890114	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15200.00	4560.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	जल संरक्षण, भू-गर्भीय जल रिचार्ज एवं रेन-वाटर हावे	राज्य स्कीम	36-4215011020115	0.91	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	ग्रामीण जलापूर्ति योजना	राज्य स्कीम	36-4215017960115	10.29	3.09	0.00	20.00	6.00	0.00	20.00	6.00	0.00	30.00	9.00	0.00
18	ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजलापूर्ति के लिए संरचना का ि	राज्य स्कीम	36-4215011020116	2064.74	619.42	0.00	2132.32	639.70	0.00	2132.32	639.70	0.00	2246.15	673.85	0.00
19	प्राथमिक/मध्य विद्यालयों में जलापूर्ति	राज्य स्कीम	36-4215011020118	60.85	18.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-4215017960119	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	243.00	0.00
21	अर्द्ध शहरी/शहरी क्षेत्रों में जलापूर्ति की व्यवस्था	राज्य स्कीम	36-4215011020121	7.00	2.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित)	राज्य स्कीम	36-4215011020131	0.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	मुख्य मंत्री पेयजल निश्चय योजना (गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र)	राज्य स्कीम	36-4215011020132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78912.00	23673.60	0.00
24	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017890212	4200.00	1260.00	0.00	8842.20	2652.66	0.00	8842.20	2652.66	0.00	5500.00	1650.00	0.00
25	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215017890213	4841.94	1452.58	0.00	7752.20	2325.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017960217	0.00	0.00	0.00	884.50	265.35	0.00	884.50	265.35	0.00	450.00	135.00	0.00
27	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215017960218	226.12	67.84	0.00	775.50	232.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
28	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215011020229	3217.62	965.28	0.00	25972.30	7791.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215011020230	12300.00	3690.00	0.00	25273.30	7581.99	0.00	25273.30	7581.99	0.00	29050.00	8715.00	0.00
30	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017890312	2631.58	789.47	0.00	6067.00	1820.10	0.00	11567.00	3470.10	0.00	3863.00	1158.90	0.00
31	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215017890313	2000.00	600.00	0.00	3200.00	960.00	0.00	1056.00	316.80	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
32	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215017960317	580.55	174.17	0.00	606.66	182.00	0.00	1106.66	332.00	0.00	301.33	90.40	0.00
33	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215017960318	250.00	75.00	0.00	320.00	96.00	0.00	105.00	31.50	0.00	0.00	0.00	0.00
34	निर्मल भारत अभियान	राज्य स्कीम	36-4215011020329	8750.00	2625.00	0.00	12480.00	3744.00	0.00	4118.00	1235.40	0.00	0.00	0.00	0.00
35	राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम	राज्य स्कीम	36-4215011020330	17668.00	5300.40	0.00	23659.34	7097.80	0.00	42659.34	12797.80	0.00	19169.00	5750.70	0.00
36	ग्रामीण जलापूर्ति एवं स्वच्छता कार्यक्रम (विश्व बैंक सम्पोषित)	राज्य स्कीम	36-4215011020531	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00
कुल योग-				80969.76	24290.92	0.00	132637.00	39791.10	0.00	117561.00	35268.30	0.00	200139.33	60041.81	0.00
महायोग-				80969.76	24290.92	0.00	132637.00	39791.10	0.00	117561.00	35268.30	0.00	200139.33	60041.81	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
1	मुस्लिम परित्यक्ता को सहायता के रूप	राज्य स्कीम	30-2250001010101	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	2200.00	0.00	2200.00
2	अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को लोक सेवा	राज्य स्कीम	30-2202031070106	60.00	18.00	0.00	100.00	30.00	0.00	100.00	30.00	0.00	2100.00	630.00	0.00
3	मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना	राज्य स्कीम	30-2202021070109	20062.32	6018.70	0.00	5201.12	1560.34	0.00	12108.12	3632.44	0.00	7183.00	2154.90	0.00
4	अल्पसंख्यकों के लिए बहुक्षेत्रक विकास कार्यक्रम	राज्य स्कीम	30-2202021070210	843.70	253.11	0.00	120.00	36.00	0.00	120.00	36.00	0.00	120.00	36.00	0.00
कुल योग-				20966.02	6289.81	0.00	5621.12	1626.34	200.00	12528.12	3698.44	200.00	11603.00	2820.90	2200.00
महायोग-				20966.02	6289.81	0.00	5621.12	1626.34	200.00	12528.12	3698.44	200.00	11603.00	2820.90	2200.00

प्राथमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011910001	2287.24	686.17	0.00	2400.00	720.00	0.00	2400.00	840.00	0.00	3000.00	1050.00	0.00
2	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011920001	2205.58	661.67	0.00	3500.00	1050.00	0.00	3500.00	1225.00	0.00	3500.00	1225.00	0.00
3	नगर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011930001	3300.34	990.10	0.00	4600.00	1380.00	0.00	4600.00	1610.00	0.00	4600.00	1610.00	0.00
4	पंचायत शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011980002	-16.71	-5.01	0.00	1300.00	390.00	0.00	1300.00	455.00	0.00	1300.00	455.00	0.00
5	प्रखंड शिक्षक एवं शारीरिक शिक्षक के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202011970002	89045.93	26713.78	0.00	100300.00	30090.00	0.00	100300.00	35105.00	0.00	125300.00	43855.00	0.00
6	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202011090101	39045.30	11713.59	0.00	4800.80	1440.24	0.00	32800.80	9840.24	0.00	8000.00	2400.00	0.00
7	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	राज्य स्कीम	21-2202011110101	631.45	189.44	0.00	200.00	60.00	0.00	1200.00	360.00	0.00	200.00	60.00	0.00
8	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202011090102	24856.01	0.00	24856.01	10000.00	0.00	10000.00	28000.00	0.00	28000.00	10000.00	0.00	10000.00
9	मुख्यमंत्री पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202017890102	11300.68	3390.20	0.00	5200.00	1560.00	0.00	5200.00	1560.00	0.00	2000.00	600.00	0.00
10	शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के आलोक में	राज्य स्कीम	21-2202011020102	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00	2500.00	750.00	0.00
11	प्रौढ़ शिक्षा	राज्य स्कीम	21-2202042000102	17329.91	5198.97	0.00	3000.00	900.00	0.00	3000.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	मध्य विद्यालयों की बालिकाओं को कराटे प्रशिक्षण हेतु अनुदान	राज्य स्कीम	21-2204001010103	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01	0.01	0.00	0.01
13	मध्य विद्यालयों के छात्रों का परिभ्रमण	राज्य स्कीम	21-2202011090103	4648.11	1394.43	0.00	2500.00	750.00	0.00	2500.00	750.00	0.00	5845.00	1753.50	0.00
14	प्राथमिक एवं मध्य निजी विद्यालयों को अनुदान	राज्य स्कीम	21-2202011020103	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00
15	राजकीय एवं राजकीयकृत माध्यमिक विद्यालयों के भवन निम	राज्य स्कीम	21-4202012020103	13623.76	4087.13	0.00	3290.92	987.28	0.00	3290.92	987.28	0.00	8000.00	2400.00	0.00

प्राथमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	शैक्षणिक सेमिनार कार्यशाला एवं विभिन्न शैक्षणिक	राज्य स्कीम	21-2202010010105	878.07	263.42	0.00	600.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	500.00	150.00	0.00
17	प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	21-2202011090105	11983.53	3595.06	0.00	5000.00	1500.00	0.00	10000.00	3000.00	0.00	351.92	105.58	0.00
18	बिहार बाल भवन को अनुदान	राज्य स्कीम	21-2202010010107	300.00	90.00	0.00	300.00	90.00	0.00	300.00	90.00	0.00	400.00	120.00	0.00
19	सर्व शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-2202017960109	11816.65	3544.99	0.00	10950.14	0.00	0.00	10950.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	राज्य स्कीम	21-2202011110201	377217.80	113165.34	0.00	457278.00	137183.40	0.00	457278.00	137183.40	0.00	493387.75	148016.33	0.00
21	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	राज्य स्कीम	21-2202011120203	120013.29	36003.99	0.00	100500.00	30150.00	0.00	119833.14	35949.94	0.00	157803.13	47340.94	0.00
22	राष्ट्रीय शिक्षा मिशन - साक्षर भारत	राज्य स्कीम	21-2202042000204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8910.00	2673.00	0.00
23	सर्व शिक्षा अभियान (एसओएसओ)	राज्य स्कीम	21-2202011110301	94947.25	28484.18	0.00	221699.63	66509.89	0.00	211699.63	63509.89	0.00	145782.11	43734.63	0.00
24	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	राज्य स्कीम	21-2202011120303	0.00	0.00	0.00	5816.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85445.00	25633.50	0.00
25	प्राथमिक शिक्षा हेतु पोषणगत समर्थन का राष्ट्रीय कार्यक्रम (एमडीएम)	राज्य स्कीम	21-2202017890306	72736.23	21820.87	0.00	67300.01	20190.00	0.00	67000.00	20100.00	0.00	19757.09	5927.13	0.00
कुल योग-				898150.42	261988.32	24856.01	1011536.32	294950.81	10000.01	1066752.65	313945.75	28000.01	1086583.01	329859.91	10000.01

माध्यमिक शिक्षा

माध्यमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	जिला परिषद माध्यमिक शिक्षकों	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021960001	34683.05	10404.92	0.00	80000.00	24000.00	0.00	80000.00	28000.00	0.00	80000.00	28000.00	0.00
2	निरीक्षिका	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021010001	380.82	0.00	380.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021910001	2271.69	681.51	0.00	9464.64	2839.39	0.00	9464.64	3312.62	0.00	9464.64	3312.62	0.00
4	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021920001	2277.30	683.19	0.00	8000.65	2400.20	0.00	8000.65	2800.23	0.00	8000.65	2800.23	0.00
5	नगर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021930001	2601.43	780.43	0.00	7113.91	2134.17	0.00	7113.91	2489.87	0.00	7113.91	2489.87	0.00
6	अन्य विद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021090001	82296.87	24689.06	0.00	105708.95	31712.69	0.00	105708.95	31712.69	0.00	97706.94	29312.08	0.00
7	जिला परिषद उच्चतर माध्यमिक	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021960002	13576.80	4073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	नगर माध्यमिक उच्चतर शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021930002	1784.54	535.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021910002	2671.30	801.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	नगर उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021920002	2588.10	776.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11	पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021910003	254.46	76.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021920003	185.13	55.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021930003	178.61	53.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	पुस्तकालयाध्यक्षों के समेकित भुगतान हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202021960003	3006.92	902.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	माध्यमिक शिक्षा निदेशालय	राज्य स्कीम	21-2202020010101	5409.58	0.00	5409.58	2500.05	0.00	2500.05	6000.05	0.00	6000.05	2500.04	0.00	2500.04

माध्यमिक शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	मुख्य मंत्री बालिका साईकिल योजना	राज्य स्कीम	21-2202027890102	3646.64	0.00	3646.64	2500.00	0.00	2500.00	3300.00	0.00	3300.00	1000.00	0.00	1000.00
17	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202027890104	1907.89	0.00	1907.89	2500.00	0.00	2500.00	2500.00	0.00	2500.00	500.00	0.00	500.00
18	आईओसीओटीओ परियोजना	राज्य स्कीम	21-2202021090105	15.75	4.72	0.00	0.01	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1000.00	300.00	0.00
19	मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना	राज्य स्कीम	21-2202021070106	16783.74	0.00	16783.74	5000.00	0.00	5000.00	14700.00	0.00	14700.00	4000.00	0.00	4000.00
20	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202021070107	13475.37	0.00	13475.37	5000.00	0.00	5000.00	7500.00	0.00	7500.00	3000.00	0.00	3000.00
21	बिहार सवजूनियर स्पोर्ट्स मीट तरंग कार्यक्रम	राज्य स्कीम	21-2204001040108	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	300.00	90.00	0.00
22	अन्य विद्यालय	राज्य स्कीम	21-2202021070108	14414.95	0.00	0.00	5215.72	0.00	0.00	10000.00	0.00	0.00	4500.00	0.00	4500.00
23	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरओएमओएसओएओ)	राज्य स्कीम	21-2202021090207	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78495.00	27473.25	0.00
24	मदरसों, अल्पसंख्यकों तथा अशक्तों को शिक्षा प्रदान कराने की स्कीम	राज्य स्कीम	21-2202021100209	1564.22	469.26	0.00	2000.00	0.00	0.00	3332.53	999.76	0.00	0.00	0.00	0.00
25	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरओएमओएसओएओ)	राज्य स्कीम	21-4202012020211	4461.06	1338.32	0.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	2800.00	0.00	33640.00	11774.00	0.00
26	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरओएमओएसओएओ)	राज्य स्कीम	21-2202021090307	1933.54	580.06	0.00	5333.33	1600.00	0.00	5333.33	1866.67	0.00	26700.00	9345.00	0.00
कुल योग-				212369.76	46905.22	41604.04	248737.26	64806.45	17500.05	271354.07	74101.84	34000.05	357921.18	114897.05	15500.04

उच्च शिक्षा

उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	जिला जन शिक्षा कार्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202042000001	489.22	146.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	पटना विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020001	16269.10	4880.73	0.00	20068.00	0.00	0.00	20068.00	0.00	0.00	20068.00	0.00	0.00
3	मगध विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020002	54101.34	16230.40	0.00	71000.00	21300.00	0.00	71000.00	21300.00	0.00	71000.00	21300.00	0.00
4	जन शिक्षा निदेशालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202040010002	239.53	71.86	0.00	260.11	0.00	0.00	260.11	0.00	0.00	260.11	0.00	0.00
5	बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर (बिहार विश्वविद्यालय)	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020003	31181.52	9354.46	0.00	40600.00	12180.00	0.00	40600.00	12180.00	0.00	40600.00	12180.00	0.00
6	राजकीय महिला महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031030003	721.56	0.00	721.56	935.99	0.00	935.99	935.99	0.00	935.99	1204.09	0.00	1204.09
7	शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031030004	45.06	13.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	जय प्रकाश विश्वविद्यालय, छपरा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020004	12084.67	3625.40	0.00	16800.00	5040.00	0.00	16800.00	5040.00	0.00	16800.00	5040.00	0.00
9	वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय, आरा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020005	14957.37	4487.21	0.00	20700.00	6210.00	0.00	20700.00	6210.00	0.00	20700.00	6210.00	0.00
10	अध्यापक शिक्षा महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030005	366.41	109.92	0.00	476.65	143.00	0.00	476.65	143.00	0.00	518.10	155.43	0.00
11	जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030006	1701.95	510.58	0.00	2257.67	677.30	0.00	2257.67	677.30	0.00	2491.53	747.46	0.00
12	प्रखण्ड शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030007	139.91	41.97	0.00	303.05	90.92	0.00	303.05	90.92	0.00	303.05	90.92	0.00
13	बी०एन० मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020008	18959.75	5687.92	0.00	24400.00	7320.00	0.00	24400.00	7320.00	0.00	24400.00	7320.00	0.00
14	प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202800030008	1227.64	368.29	0.00	1566.32	469.90	0.00	1566.32	469.90	0.00	1925.13	577.54	0.00
15	भागलपुर विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020009	31303.57	9391.07	0.00	39600.00	11880.00	0.00	39600.00	11880.00	0.00	39600.00	11880.00	0.00

उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020011	31473.81	9442.14	0.00	42600.00	12780.00	0.00	42600.00	12780.00	0.00	42600.00	12780.00	0.00
17	कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020012	6916.67	2075.00	0.00	7500.00	2250.00	0.00	7500.00	2250.00	0.00	7500.00	2250.00	0.00
18	मौलाना मजहूरूल हक अरबी/फारसी विश्वविद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	21-2202031020016	208.32	62.49	0.00	255.00	76.50	0.00	255.00	76.50	0.00	255.00	76.50	0.00
19	बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम	राज्य स्कीम	21-2202031130101	0.00	0.00	0.00	500.00	150.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00	5500.00	1650.00	0.00
20	मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना	राज्य स्कीम	21-2202031070104	2298.33	0.00	2298.33	2500.00	0.00	2500.00	3500.00	0.00	3500.00	1500.00	0.00	1500.00
21	शिक्षक प्रशिक्षण संस्थान विकास (वाह्य संपोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	21-2202800030104	5532.07	1659.62	0.00	3217.00	0.00	0.00	3217.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	राजकीय महिला महाविद्यालय	राज्य स्कीम	21-4202012030106	200.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00
23	राज्य के विश्वविद्यालयों का विकास	राज्य स्कीम	21-2202031020115	1766.50	529.95	0.00	5900.00	0.00	0.00	5900.00	1770.00	0.00	9000.02	2700.01	0.00
24	राष्ट्रीय विधि महाविद्यालय की स्थापना	राज्य स्कीम	21-2202031020117	0.00	0.00	0.00	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00	150.00	45.00	0.00
25	राष्ट्रीय स्तर का प्रबंधन संस्थान हेतु	राज्य स्कीम	21-2202031020118	688.00	206.40	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00
26	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	राज्य स्कीम	21-2202042000203	6633.00	1989.90	0.00	6500.00	1950.00	0.00	6500.00	1950.00	0.00	2000.00	600.00	0.00
27	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-4202012030207	1742.60	522.78	0.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00	8000.00	0.00	0.00
28	अध्यापक प्रशिक्षण और प्रौढ़ शिक्षा सहित शैक्षिक विकास हेतु समर्थन	राज्य स्कीम	21-2202042000303	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1333.33	400.00	0.00
29	राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान	राज्य स्कीम	21-2202031020323	1233.18	369.95	0.00	4000.00	1200.00	0.00	4000.00	1200.00	0.00	5333.33	1600.00	0.00

उच्च शिक्षा

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
कुल योग-				242481.08	71778.33	3219.89	320689.79	83912.62	3435.99	326689.79	87182.62	4535.99	323641.69	87752.86	2804.09
महायोग-				1353001.26	380671.87	69679.94	1580963.37	443669.88	30936.05	1664796.51	475230.21	66536.05	1768145.88	532509.82	28304.14

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	मातृत्व एवं शिशु स्वास्थ्य	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	20-2211001030001	366.68	0.00	366.68	518.27	0.00	0.00	518.27	0.00	0.00	518.27	0.00	0.00
2	ग्रामीण परिवार कल्याण केन्द्र	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	20-2211001010001	4770.63	0.00	4770.63	6932.65	0.00	0.00	6942.65	0.00	0.00	6932.65	0.00	0.00
3	महिला स्वास्थ्य परिदशिकाओं के लिए विद्यालय	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	20-2210051050011	145.20	0.00	145.20	103.19	0.00	0.00	103.19	0.00	0.00	103.19	0.00	0.00
4	प्रशिक्षण नर्स	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	20-2210051050012	652.57	0.00	0.00	1095.37	0.00	0.00	1095.37	0.00	0.00	1095.37	0.00	1095.37
5	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001020102	219.53	0.00	0.00	135.00	0.00	135.00	135.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00
6	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000010104	2209.20	0.00	0.00	1400.00	0.00	1400.00	1400.00	0.00	1400.00	0.00	0.00	0.00
7	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001010105	28230.77	0.00	0.00	15006.50	0.00	15006.50	15006.50	0.00	15006.50	0.00	0.00	0.00
8	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000030106	710.24	0.00	0.00	450.00	0.00	450.00	450.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00
9	ए०एन०एम० एवं जी०एन०एम० स्कूल	राज्य स्कीम	20-4210031050112	100.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	14000.00	0.00	0.00	31000.00	0.00	31000.00
10	बी०एस०सी० नर्सिंग कॉलेज (निश्चय)	राज्य स्कीम	20-4210031050119	0.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	6000.00	0.00	0.00	7000.00	0.00	7000.00
11	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017890201	0.00	0.00	0.00	20000.00	0.00	20000.00	20000.00	0.00	20000.00	13698.88	0.00	13698.88
12	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210037960202	0.00	0.00	0.00	4000.00	0.00	4000.00	4000.00	0.00	4000.00	1284.27	0.00	1284.27
13	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210012000209	10000.00	0.00	10000.00	100000.00	0.00	100000.00	100000.00	0.00	100000.00	37444.94	0.00	37444.94
14	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017960219	0.00	0.00	0.00	2418.70	0.00	2418.70	2418.70	0.00	2418.70	856.18	0.00	856.18
15	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017890301	5100.00	0.00	5100.00	1500.00	0.00	1500.00	1500.00	0.00	1500.00	9132.58	0.00	9132.58

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
16	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210037960302	4174.96	0.00	4174.96	3000.00	0.00	3000.00	3000.00	0.00	3000.00	856.18	0.00	856.18
17	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001020302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1076.00	322.80	0.00
18	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000010304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2000.00	600.00	0.00
19	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211001010305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5333.33	0.00	5333.33
20	स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा में मानव संसाधन	राज्य स्कीम	20-2211000030306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1902.00	570.60	0.00
21	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210012000309	5200.00	0.00	5200.00	39824.50	0.00	39824.50	39824.50	0.00	39824.50	24963.30	0.00	24963.30
22	एनआरएचएम सहित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन	राज्य स्कीम	20-2210017960319	744.00	0.00	744.00	1279.14	0.00	1279.14	1279.14	0.00	1279.14	570.79	0.00	570.79
कुल योग-				62623.78	0.00	30501.47	217663.32	0.00	189013.84	217673.32	0.00	189013.84	145767.93	1493.40	133235.82
महायोग-				62623.78	0.00	30501.47	217663.32	0.00	189013.84	217673.32	0.00	189013.84	145767.93	1493.40	133235.82

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	मुख्य मंत्री इंदिरा आवास जीर्णोद्धार योजना	राज्य स्कीम	42-2216037890103	3965.10	0.00	3965.10	18914.18	0.00	18914.18	18914.18	0.00	18914.18	9200.00	0.00	9200.00
2	लोहिया स्वच्छता योजना	राज्य स्कीम	42-2215021050103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4855.00	1456.50	0.00	25000.00	7500.00	0.00
3	मुख्य मंत्री शताब्दी इंदिरा आवास प्रोत्साहन योजना	राज्य स्कीम	42-2216031050106	97.96	0.00	97.96	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00	1000.00	0.00	1000.00
4	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पोषित- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515007890110	5893.89	0.00	5893.89	528.00	0.00	528.00	528.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00
5	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	राज्य स्कीम	42-2515001020117	10161.88	0.00	10161.88	964.15	0.00	964.15	964.15	0.00	964.15	0.00	0.00	0.00
6	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना(विश्व बैंक सम्पोषित-ग्रामीण विकास विभाग हेतु)	राज्य स्कीम	42-2515007960117	4267.99	0.00	4267.99	62.00	0.00	62.00	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00
7	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505021010201	85002.18	25500.65	0.00	115284.11	34585.23	0.00	115284.11	34585.23	0.00	150298.00	45089.40	0.00
8	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027890201	16385.96	4915.79	0.00	63220.32	18966.10	0.00	63220.32	18966.10	0.00	1.00	0.30	0.00
9	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027960201	1024.12	307.24	0.00	7437.68	2231.30	0.00	7437.68	2231.30	0.00	1.00	0.30	0.00
10	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215021050202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25972.30	7791.69	0.00	5800.00	1740.00	0.00
11	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	राज्य स्कीम	42-2216031050202	46512.65	0.00	46512.65	87627.41	0.00	87627.41	283346.53	0.00	283346.53	166184.00	0.00	166184.00
12	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	राज्य स्कीम	42-2216037890202	35068.53	0.00	35068.53	48053.00	0.00	48053.00	155382.84	0.00	155382.84	228503.00	0.00	228503.00
13	इंदिरा आवास योजना (आई०ए०वाई०)	राज्य स्कीम	42-2216037960202	2137.28	0.00	2137.28	5653.00	0.00	5653.00	18280.04	0.00	18280.04	20773.04	0.00	20773.04

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
14	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501061010202	14815.49	4444.65	0.00	32233.58	0.00	32233.58	32233.58	0.00	32233.58	22010.00	6603.00	0.00
15	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067890202	7896.26	2368.88	0.00	17676.40	0.00	17676.40	17676.40	0.00	17676.40	12765.80	3829.74	0.00
16	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067960202	4667.79	1400.34	0.00	2079.50	0.00	2079.50	2079.50	0.00	2079.50	9244.20	2773.26	0.00
17	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027890204	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7752.20	2325.66	0.00	7975.00	2392.50	0.00
18	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027960206	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775.50	232.65	0.00	725.00	217.50	0.00
19	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505021010301	9654.39	2896.32	0.00	19231.33	5769.40	0.00	19231.33	5769.40	0.00	16698.00	5009.40	0.00
20	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027890301	1706.87	512.06	0.00	10546.21	3163.86	0.00	10546.21	3163.86	0.00	1.00	0.30	0.00
21	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम (मनरेगा)	राज्य स्कीम	42-2505027960301	211.68	63.50	0.00	1240.73	372.22	0.00	1240.73	372.22	0.00	1.00	0.30	0.00
22	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215021050302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8362.00	2508.60	0.00	3866.68	1160.00	0.00
23	इंदिरा आवास योजना (आईए वाई)	राज्य स्कीम	42-2216031050302	32076.81	0.00	32076.81	31967.62	0.00	31967.62	31967.62	0.00	31967.62	66666.80	0.00	66666.80
24	इंदिरा आवास योजना (आईओवाईओ)	राज्य स्कीम	42-2216037890302	21879.62	0.00	21879.62	17530.63	0.00	17530.63	17530.63	0.00	17530.63	91666.85	0.00	91666.85
25	इंदिरा आवास योजना (आईओवाईओ)	राज्य स्कीम	42-2216037960302	1852.61	0.00	1852.61	2062.43	0.00	2062.43	2062.43	0.00	2062.43	8333.35	0.00	8333.35
26	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501061010302	8118.03	2435.41	0.00	14030.63	0.00	14030.63	14030.63	0.00	14030.63	14673.33	4402.00	0.00
27	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067890302	4244.38	1273.31	0.00	7694.22	0.00	7694.22	7694.22	0.00	7694.22	8510.53	2553.16	0.00
28	राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनओआरओएलओएमओ)	राज्य स्कीम	42-2501067960302	2907.88	872.36	0.00	905.20	0.00	905.20	905.20	0.00	905.20	6162.80	1848.84	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
29	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027890304	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2144.00	643.20	0.00	5316.66	1595.00	0.00
30	स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण)	राज्य स्कीम	42-2215027960306	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215.00	64.50	0.00	483.33	145.00	0.00
31	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पत्ति- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515007890510	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13176.70	0.00	13176.70
32	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पत्ति- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515001020517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31805.90	0.00	31805.90
33	बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना-विश्व बैंक सम्पत्ति- ग्रामीण विकास विभाग हेतु	राज्य स्कीम	42-2515007960517	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.40	0.00	454.40
कुल योग-				320549.35	46990.51	163914.32	505942.33	65088.11	288981.95	871694.33	80110.91	604657.95	927297.37	86860.00	637764.04
महायोग-				320549.35	46990.51	163914.32	505942.33	65088.11	288981.95	871694.33	80110.91	604657.95	927297.37	86860.00	637764.04

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217031910102	49.00	24.50	0.00	254.60	127.30	0.00	254.60	127.30	0.00	165.00	82.50	0.00
2	नगर पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217031930102	92.17	46.08	0.00	421.00	210.50	0.00	421.00	210.50	0.00	286.00	143.00	0.00
3	नगर परिषदों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217031920102	103.44	51.72	0.00	502.00	251.00	0.00	502.00	251.00	0.00	325.00	162.50	0.00
4	नगर निगमों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	48-2217011910106	10.00	5.00	0.00	37.40	18.70	0.00	37.40	18.70	0.00	24.00	12.00	0.00
कुल योग-				254.61	127.30	0.00	1215.00	607.50	0.00	1215.00	607.50	0.00	800.00	400.00	0.00
महायोग-				254.61	127.30	0.00	1215.00	607.50	0.00	1215.00	607.50	0.00	800.00	400.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	ग्राम कचहरी के विभिन्न मर्दों हेतु	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	16-2515001980010	3939.57	1969.78	0.00	7500.00	3750.00	0.00	7500.00	3750.00	0.00	7500.00	3750.00	0.00
2	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	राज्य स्कीम	16-2515001970103	1636.58	818.29	0.00	1623.00	811.50	0.00	1623.00	811.50	0.00	2400.00	1200.00	0.00
3	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890103	1383.35	691.68	0.00	2685.20	1342.60	0.00	2685.20	1342.60	0.00	2257.00	1128.50	0.00
4	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890104	1308.70	654.35	0.00	2685.20	1342.60	0.00	2685.20	1342.60	0.00	2257.00	1128.50	0.00
5	पंचायत समिति के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890105	308.57	154.29	0.00	300.00	150.00	0.00	300.00	150.00	0.00	492.00	246.00	0.00
6	ग्राम पंचायतों के निर्वाचित प्रतिनिधियों का	राज्य स्कीम	16-2515001980105	6724.79	3362.39	0.00	10139.60	5069.80	0.00	10139.60	5069.80	0.00	11017.00	5508.50	0.00
7	जिला परिषद के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515007890106	65.39	32.70	0.00	50.00	25.00	0.00	50.00	25.00	0.00	95.36	47.68	0.00
8	जिला परिषद् के निर्वाचित प्रतिनिधियों को नियत भ	राज्य स्कीम	16-2515001960106	362.02	181.01	0.00	405.00	202.50	0.00	405.00	202.50	0.00	464.64	232.32	0.00
9	ग्राम कचहरी के निर्वाचित प्रतिनिधियों	राज्य स्कीम	16-2515001980106	5777.57	2888.78	0.00	8112.00	4056.00	0.00	8112.00	4056.00	0.00	11017.00	5508.50	0.00
कुल योग-				21506.54	10753.27	0.00	33500.00	16750.00	0.00	33500.00	16750.00	0.00	37500.00	18750.00	0.00
महायोग-				21506.54	10753.27	0.00	33500.00	16750.00	0.00	33500.00	16750.00	0.00	37500.00	18750.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	बीड़ी श्रमिकों के लिए गृह निर्माण हेतु	राज्य स्कीम	26-2230011090101	40.92	12.28	0.00	40.00	12.00	0.00	40.00	12.00	0.00	0.01	0.00	0.00
2	नया महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	राज्य स्कीम	26-2230031010101	184.79	0.00	184.79	500.00	0.00	500.00	500.00	0.00	500.00	400.00	0.00	400.00
3	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरो का संगठन	राज्य स्कीम	26-2230017890101	13.38	4.01	0.00	30.70	0.00	0.00	30.70	0.00	0.00	15.23	0.00	0.00
4	ग्रामीण प्रशिक्षण शिविरो का संगठन	राज्य स्कीम	26-2230011030101	30.10	9.03	0.00	69.30	0.00	0.00	69.30	0.00	0.00	35.59	0.00	0.00
5	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	राज्य स्कीम	26-2230011140102	76.71	23.01	0.00	230.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	197.75	0.00	0.00
6	बाल श्रमिक पुनर्वास तंत्र का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	26-2230011030103	176.63	52.99	0.00	190.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	281.49	0.00	0.00
7	अन्तर्राज्यीय प्रवासी मजदूरों की पुनर्वापसी पर व्यय	राज्य स्कीम	26-2230017890103	20.00	6.00	0.00	70.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	63.00	0.00	0.00
8	स्थापित महिला ओ० प्र० सं० में नया व्यवसाय प्रारंभ	राज्य स्कीम	26-2230030030112	10.35	0.00	10.35	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00	50.00	0.00	50.00
कुल योग-				552.88	107.32	195.14	1180.00	12.00	550.00	1180.00	12.00	550.00	1043.07	0.00	450.00
महायोग-				552.88	107.32	195.14	1180.00	12.00	550.00	1180.00	12.00	550.00	1043.07	0.00	450.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पिछड़ी जातियों के लिये बारह कन्या आवासीय उच्च विद्या	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	11-2225032770010	854.63	0.00	854.63	1016.20	0.00	1016.20	1016.20	0.00	1016.20	1073.43	0.00	1073.43
2	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	11-2225031970101	12293.47	3688.04	0.00	12000.00	3600.00	0.00	12000.00	3600.00	0.00	9450.00	2835.00	0.00
3	छात्रवृत्ति/वजीफा	राज्य स्कीम	11-2225031980101	22996.42	6898.93	0.00	20452.66	6135.80	0.00	20452.66	6135.80	0.00	18050.00	5415.00	0.00
4	शिक्षा	राज्य स्कीम	11-2225032770101	209521.61	62856.48	0.00	153229.00	45968.70	0.00	114776.00	34432.80	0.00	109794.14	32938.24	0.00
5	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु)	राज्य स्कीम	11-4225032770202	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	225.00	0.00
6	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	राज्य स्कीम	11-2225032770212	365.00	0.00	0.00	160.00	48.00	0.00	160.00	48.00	0.00	160.00	48.00	0.00
7	आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ईबीसी)	राज्य स्कीम	11-2225032770213	0.00	0.00	0.00	200.00	100.00	0.00	200.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	11-2225032770214	1598.96	479.69	0.00	1029.00	308.70	0.00	1029.00	308.70	0.00	1250.00	375.00	0.00
9	पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	11-2225032770215	10211.88	3063.56	0.00	7272.00	2181.60	0.00	7272.00	2181.60	0.00	7792.65	2337.80	0.00
10	अर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के विकास हेतु स्कीम (ओबीसी छात्रावास निर्माण हेतु)	राज्य स्कीम	11-4225032770302	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	75.00	0.00
11	अन्य पिछड़े वर्गों और अनधिसूचित, घुमंतू तथा अर्ध-घुमंतू जनजातियों के विकास के लिए स्कीम	राज्य स्कीम	11-2225032770312	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	53.33	16.00	0.00
12	प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति	राज्य स्कीम	11-2225032770314	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1100.00	330.00	0.00
कुल योग-				257841.97	76986.70	854.63	195418.86	58342.80	1016.20	156965.86	46806.90	1016.20	149323.55	44595.04	1073.43

माँग संख्या :- 11

पिछड़ा वर्ग एवं अतिपिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

(राशि लाख में)

महायोग-	257841.97	76986.70	854.63	195418.86	58342.80	1016.20	156965.86	46806.90	1016.20	149323.55	44595.04	1073.43
---------	-----------	----------	--------	-----------	----------	---------	-----------	----------	---------	-----------	----------	---------

माँग संख्या :- 40

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

(राशि लाख में)

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	भूमि अर्जन हेतु (राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)	राज्य स्कीम	40-4047007890101	1221.69	0.00	1221.69	2075.08	0.00	2075.08	2075.08	0.00	2075.08	0.00	0.00	0.00
2	गृह विहिन परिवारों के लिए रैयती भूमि का क्रय	राज्य स्कीम	40-4047007890106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2506.57	0.00	2506.57
3	पिछड़ा वर्ग के वासहीन परिवारों के गृहस्थल योजनान्तर्गत रैयती भूमि का क्रय	राज्य स्कीम	40-4047000500107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	100.00
कुल योग-				1221.69	0.00	1221.69	2075.08	0.00	2075.08	2075.08	0.00	2075.08	2606.57	0.00	2606.57
महायोग-				1221.69	0.00	1221.69	2075.08	0.00	2075.08	2075.08	0.00	2075.08	2606.57	0.00	2606.57

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	खेलकूद	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	8-2204001040001	478.31	143.49	0.00	908.33	272.50	0.00	908.33	272.50	0.00	885.89	265.77	0.00
2	कला और संस्कृति का संवर्धन	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	8-2205001020001	105.84	31.75	0.00	486.20	145.86	0.00	486.20	145.86	0.00	519.21	155.76	0.00
3	कला और संस्कृति का संवर्धन	राज्य स्कीम	8-2205001020101	637.37	191.21	0.00	1110.00	333.00	0.00	1110.00	333.00	0.00	1160.00	348.00	0.00
4	खेलकूद	राज्य स्कीम	8-2204001040102	443.98	133.20	0.00	1370.00	411.00	0.00	1370.00	411.00	0.00	2280.00	684.00	0.00
कुल योग-				1665.50	499.65	0.00	3874.53	1162.36	0.00	3874.53	1162.36	0.00	4845.10	1453.53	0.00
महायोग-				1665.50	499.65	0.00	3874.53	1162.36	0.00	3874.53	1162.36	0.00	4845.10	1453.53	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	पिछड़ी जातियों के लिए वि	राज्य स्कीम	23-2851001070101	1930.43	579.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2580.00	774.00	0.00
2	विद्युत करघा योजना	राज्य स्कीम	23-2851007890101	9.60	0.00	0.00	43.00	12.90	0.00	43.00	12.90	0.00	0.00	0.00	0.00
3	विद्युत करघा योजना	राज्य स्कीम	23-2851001080101	24.45	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	220.00	66.00	0.00
4	हस्तशिल्प का विकास	राज्य स्कीम	23-2851001040101	445.52	133.66	0.00	3255.00	976.50	0.00	3255.00	976.50	0.00	2600.00	780.00	0.00
5	आर्थिक सहायता	राज्य स्कीम	23-2852087960101	451.57	0.00	0.00	1051.76	315.53	0.00	1051.76	315.53	0.00	521.88	156.56	0.00
6	इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	राज्य स्कीम	23-2852807890102	4516.77	0.00	0.00	11904.56	3571.37	0.00	11904.56	3571.37	0.00	9070.05	2721.02	0.00
7	हस्तकरघा विकास की योजना	राज्य स्कीम	23-2851001030103	1058.10	317.43	0.00	1540.82	462.25	0.00	1540.82	462.25	0.00	435.00	130.50	0.00
8	सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टिक इन्जिरियरिंग	राज्य स्कीम	23-2852807890103	10.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00	10.00	3.00	0.00	50.00	15.00	0.00
9	पिछड़ी जातियों के लिए विशेष अंगीभूत	राज्य स्कीम	23-2851007890105	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1830.00	549.00	0.00
10	रेशम का विकास	राज्य स्कीम	23-2851007960106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	15.00	0.00
11	उद्योग मित्र	राज्य स्कीम	23-2851001020106	110.29	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	140.00	42.00	0.00
12	अनुसूचित जातियों के लिए विशेष अंगीभूत योजना - बिहार राज्य खादी ग्रामोद्योग बोर्ड को सहायक अनुदा	राज्य स्कीम	23-2851007890109	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	1400.00	420.00	0.00
13	विभागीय योजनाओं के प्रचार एवं प्रकाशन योजना	राज्य स्कीम	23-2852800010110	99.75	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
14	शिल्प अनुसंधान संस्थान की योजना का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	23-2851001030113	227.05	0.00	0.00	495.00	148.50	0.00	495.00	148.50	0.00	500.00	150.00	0.00
15	इन्टरप्रेनियोर्स डेवलपमेन्ट योजना की स्थापना	राज्य स्कीम	23-2852801020135	715.12	0.00	0.00	2964.18	889.25	0.00	2964.18	889.25	0.00	5115.00	1534.50	0.00
16	सेन्ट्रल इंस्टीच्यूट आफ प्लास्टि	राज्य स्कीम	23-2852801020150	330.00	99.00	0.00	25.00	7.50	0.00	25.00	7.50	0.00	200.00	60.00	0.00
17	प्री-प्रोडक्सन एवं पोस्ट-प्रोडक्सन सुविधाओं की या	राज्य स्कीम	23-2852801020160	61821.46	0.00	0.00	36069.48	0.00	0.00	36069.48	0.00	0.00	32451.87	9735.56	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
कुल योग-				72150.11	1129.22	0.00	58208.80	6386.80	0.00	58208.80	6386.80	0.00	57263.80	17149.14	0.00
महायोग-				72150.11	1129.22	0.00	58208.80	6386.80	0.00	58208.80	6386.80	0.00	57263.80	17149.14	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	भूमि संरक्षण कार्य	राज्य स्कीम	1-2402007890101	201.01	60.30	0.00	800.00	240.00	0.00	600.00	180.00	0.00	480.00	144.00	0.00
2	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	राज्य स्कीम	1-2435601010101	0.00	0.00	0.00	1560.00	468.00	0.00	780.00	234.00	0.00	830.00	249.00	0.00
3	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	राज्य स्कीम	1-2435607890101	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	200.00	60.00	0.00	160.00	48.00	0.00
4	कृषि ऋण पर ब्याज अनुदान	राज्य स्कीम	1-2435607960101	0.00	0.00	0.00	40.00	12.00	0.00	20.00	6.00	0.00	10.00	3.00	0.00
5	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	राज्य स्कीम	1-4401000510101	555.58	166.67	0.00	1560.00	468.00	0.00	1560.00	468.00	0.00	2490.00	747.00	0.00
6	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	राज्य स्कीम	1-4401007890101	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	480.00	144.00	0.00
7	कृषि कार्यालय भवनों की स्थापना	राज्य स्कीम	1-4401007960101	0.00	0.00	0.00	40.00	12.00	0.00	40.00	12.00	0.00	30.00	9.00	0.00
8	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	राज्य स्कीम	1-2415012770101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166.00	49.80	0.00
9	उद्यान विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401001190101	2738.60	821.58	0.00	3900.00	1170.00	0.00	6696.71	2009.01	0.00	6391.00	1917.30	0.00
10	बाढ़ सुखाड़ की अपातकालीन योजना	राज्य स्कीम	1-2401001090103	18131.97	5439.59	0.00	13260.00	3978.00	0.00	13260.00	3978.00	0.00	14525.00	4357.50	0.00
11	बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर, भागलपुर	राज्य स्कीम	1-2415017890103	1415.68	424.70	0.00	5000.00	1500.00	0.00	5000.00	1500.00	0.00	3168.00	950.40	0.00
12	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	राज्य स्कीम	1-2415017960104	82.80	24.84	0.00	500.00	150.00	0.00	500.00	150.00	0.00	198.00	59.40	0.00
13	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला	राज्य स्कीम	1-2415017960105	0.69	0.21	0.00	20.00	6.00	0.00	20.00	6.00	0.00	8.00	2.40	0.00
14	प्रोमोशन आफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	राज्य स्कीम	1-2401001130105	12149.01	3644.70	0.00	13650.00	4095.00	0.00	13650.00	4095.00	0.00	14940.00	4482.00	0.00
15	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	राज्य स्कीम	1-2415017890105	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32.00	9.60	0.00
16	इनटेनसिफायड फिल्ड डेवलपमेन्	राज्य स्कीम	1-2401001090106	7738.24	2321.47	0.00	9360.00	2808.00	0.00	9681.49	2904.45	0.00	15604.00	4681.20	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
17	इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट	राज्य स्कीम	1-2401007890106	1283.70	385.11	0.00	2400.00	720.00	0.00	2400.00	720.00	0.00	3008.00	902.40	0.00
18	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	राज्य स्कीम	1-2401001040106	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	249.00	0.00
19	जैविक खेती का उन्नयन	राज्य स्कीम	1-2401001050106	10002.74	3000.82	0.00	10122.06	3036.62	0.00	10122.06	3036.62	0.00	10770.88	3231.26	0.00
20	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	1-2415010040107	446.93	134.08	0.00	780.00	234.00	0.00	780.00	234.00	0.00	664.00	199.20	0.00
21	मिट्टी बीज एवं उर्वरक प्रयोगशाला का सुदृढीकरण	राज्य स्कीम	1-2415017890107	57.42	17.22	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	128.00	38.40	0.00
22	भूमि संरक्षण कार्य	राज्य स्कीम	1-2402007960108	0.62	0.19	0.00	80.00	24.00	0.00	60.00	18.00	0.00	30.00	9.00	0.00
23	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	राज्य स्कीम	1-2415012770108	7344.87	2203.46	0.00	19500.00	5850.00	0.00	19500.00	5850.00	0.00	16434.00	4930.20	0.00
24	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय को अनुदान	राज्य स्कीम	1-2415017960108	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.60	0.00
25	बीज गुणन फार्मों का विस्तार खेती पर व्यय	राज्य स्कीम	1-2401001030109	10766.48	3229.94	0.00	11700.00	3510.00	0.00	10212.53	3063.76	0.00	11893.76	3568.13	0.00
26	भूमि संरक्षण कार्य	राज्य स्कीम	1-2402001020112	1070.33	321.10	0.00	3120.00	936.00	0.00	2340.00	702.00	0.00	2490.00	747.00	0.00
27	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट	राज्य स्कीम	1-2401001090114	0.00	0.00	0.00	1967.94	590.38	0.00	1967.94	590.38	0.00	0.00	0.00	0.00
28	बीज उत्पादन कार्यक्रम	राज्य स्कीम	1-2401007890117	1762.72	528.82	0.00	3000.00	900.00	0.00	2618.60	785.58	0.00	2292.77	687.83	0.00
29	प्रोमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007890120	1653.60	496.08	0.00	3500.00	1050.00	0.00	3500.00	1050.00	0.00	2880.00	864.00	0.00
30	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890125	1119.61	335.88	0.00	3400.00	1020.00	0.00	3400.00	1020.00	0.00	2800.00	840.00	0.00
31	जैविक खेती का उन्नयन	राज्य स्कीम	1-2401007890126	1830.09	549.03	0.00	2595.40	778.62	0.00	2595.40	778.62	0.00	2076.34	622.90	0.00
32	उद्यान विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890130	528.00	158.40	0.00	1000.00	300.00	0.00	1717.11	515.13	0.00	1232.00	369.60	0.00
33	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	1-2401007890132	0.00	0.00	0.00	504.60	151.38	0.00	504.60	151.38	0.00	0.00	0.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
34	इनटेनसिफाइड फिल्ड डेवलेपमेंट	राज्य स्कीम	1-2401007960134	25.72	7.72	0.00	240.00	72.00	0.00	240.00	72.00	0.00	188.00	56.40	0.00
35	बीज उत्पादन कार्यक्रम	राज्य स्कीम	1-2401007960140	78.49	23.55	0.00	300.00	90.00	0.00	261.85	78.56	0.00	143.30	42.99	0.00
36	प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मेंकानाइजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007960143	85.91	25.77	0.00	350.00	105.00	0.00	350.00	105.00	0.00	180.00	54.00	0.00
37	बाढ़ सुखाड़ की आपात कालीन योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960147	89.33	26.80	0.00	340.00	102.00	0.00	340.00	102.00	0.00	175.00	52.50	0.00
38	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	राज्य स्कीम	1-2401007890147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	48.00	0.00
39	जैविक खेती का उननयन	राज्य स्कीम	1-2401007960148	164.36	49.31	0.00	259.54	77.86	0.00	259.54	77.86	0.00	129.78	38.93	0.00
40	उद्यान विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960152	0.00	0.00	0.00	100.00	30.00	0.00	171.71	51.51	0.00	77.00	23.10	0.00
41	एग्रीविजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समर्पोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	1-2401007960154	0.00	0.00	0.00	50.46	15.14	0.00	50.46	15.14	0.00	0.00	0.00	0.00
42	कृषि नवीनता में प्रोत्साहन	राज्य स्कीम	1-2401007960169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	3.00	0.00
43	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001020201	3165.27	0.00	0.00	7020.00	2106.00	0.00	7020.00	2106.00	0.00	7405.92	2221.78	0.00
44	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007890202	99.82	0.00	0.00	2000.00	600.00	0.00	2000.00	600.00	0.00	480.00	144.00	0.00
45	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007890203	0.00	0.00	0.00	4474.80	1342.44	0.00	4474.80	1342.44	0.00	3200.00	960.00	0.00
46	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401001040205	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502.32	150.70	0.00	1175.18	352.55	0.00
47	राष्ट्रीय संधारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001050207	1657.64	0.00	0.00	3219.84	965.95	0.00	2340.00	702.00	0.00	2038.95	611.69	0.00
48	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007960209	1.33	0.00	0.00	200.00	60.00	0.00	200.00	60.00	0.00	30.00	9.00	0.00
49	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्ल्यू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402001020213	531.47	0.00	0.00	7800.00	2340.00	0.00	7800.00	2340.00	0.00	2490.00	747.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
50	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान-कृषि	राज्य स्कीम	1-2401000010214	0.00	0.00	0.00	166.92	50.08	0.00	284.38	85.31	0.00	302.61	90.78	0.00
51	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401001090216	9891.00	0.00	0.00	17451.72	5235.52	0.00	17451.72	5235.52	0.00	16600.00	4980.00	0.00
52	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001090217	3916.77	0.00	0.00	4846.14	1453.84	0.00	4846.14	1453.84	0.00	3785.33	1135.60	0.00
53	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401001130217	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1164.52	349.36	0.00
54	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401001090218	0.00	0.00	0.00	4680.00	1404.00	0.00	6208.69	1862.61	0.00	6606.68	1982.00	0.00
55	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001080220	79.32	0.00	0.00	202.80	60.84	0.00	202.80	60.84	0.00	146.08	43.82	0.00
56	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001190224	1162.00	0.00	0.00	2340.00	0.00	0.00	2340.00	702.00	0.00	2183.73	655.12	0.00
57	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007960231	119.17	0.00	0.00	447.48	134.24	0.00	447.48	134.24	0.00	200.00	60.00	0.00
58	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890234	8.44	0.00	0.00	52.00	15.60	0.00	52.00	15.60	0.00	28.16	8.45	0.00
59	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890235	224.00	0.00	0.00	600.00	180.00	0.00	600.00	180.00	0.00	420.96	126.29	0.00
60	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890236	784.62	0.00	0.00	1242.60	372.78	0.00	1242.60	372.78	0.00	729.70	218.91	0.00
61	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890237	522.70	0.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1800.00	540.00	0.00	1427.65	428.30	0.00
62	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890238	245.33	0.00	0.00	825.60	247.68	0.00	600.00	180.00	0.00	393.05	117.92	0.00
63	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890239	0.00	0.00	0.00	1200.00	360.00	0.00	1591.97	477.59	0.00	1273.58	382.07	0.00
64	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007890240	0.00	0.00	0.00	42.80	12.84	0.00	72.92	21.88	0.00	58.33	17.50	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
65	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890241	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.80	38.64	0.00	226.54	67.96	0.00
66	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007890245	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.49	67.35	0.00
67	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960256	0.18	0.00	0.00	5.20	1.56	0.00	5.20	1.56	0.00	1.76	0.53	0.00
68	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960257	14.00	0.00	0.00	60.00	18.00	0.00	60.00	18.00	0.00	26.31	7.89	0.00
69	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960258	8.89	0.00	0.00	82.56	24.77	0.00	60.00	18.00	0.00	24.57	7.37	0.00
70	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960259	4.42	0.00	0.00	180.00	54.00	0.00	180.00	54.00	0.00	89.23	26.77	0.00
71	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960260	16.11	0.00	0.00	124.26	37.28	0.00	124.26	37.28	0.00	45.61	13.68	0.00
72	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960261	0.00	0.00	0.00	120.00	36.00	0.00	159.20	47.76	0.00	79.60	23.88	0.00
73	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007960262	0.00	0.00	0.00	4.28	1.28	0.00	7.29	2.19	0.00	3.65	1.10	0.00
74	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960263	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.88	3.86	0.00	14.16	4.25	0.00
75	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007960267	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.03	4.21	0.00
76	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001020301	2550.42	765.13	0.00	4680.00	1404.00	0.00	4680.00	1404.00	0.00	8300.00	2490.00	0.00
77	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आई०डब्लू०एम०पी०)	राज्य स्कीम	1-2402007890302	70.16	21.05	0.00	1333.30	399.99	0.00	1102.56	330.77	0.00	320.00	96.00	0.00
78	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007890303	2226.19	667.86	0.00	2983.20	894.96	0.00	2983.20	894.96	0.00	2800.00	840.00	0.00
79	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401001040305	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334.86	100.46	0.00	932.09	279.63	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
80	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001050307	1726.99	518.10	0.00	2146.48	643.94	0.00	1560.00	468.00	0.00	1359.31	407.79	0.00
81	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	1-2415017890308	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192.00	57.60	0.00
82	एकीकृत जल संभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	राज्य स्कीम	1-2402007960309	1.11	0.33	0.00	133.33	40.00	0.00	110.26	33.08	0.00	20.00	6.00	0.00
83	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	1-2415017960309	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12.00	3.60	0.00
84	कौशल विकास मिशन	राज्य स्कीम	1-2415012770312	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996.00	298.80	0.00
85	एकीकृत जलसंभर प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी)	राज्य स्कीम	1-2402001020313	373.06	111.92	0.00	5199.87	1559.96	0.00	4299.97	1289.99	0.00	1660.00	498.00	0.00
86	नेशनल ई-गवर्नेन्स प्लान-कृषि	राज्य स्कीम	1-2401000010314	0.00	0.00	0.00	111.23	33.37	0.00	189.59	56.88	0.00	201.74	60.52	0.00
87	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401001090316	11548.36	3464.51	0.00	11634.48	3490.34	0.00	11634.48	3490.34	0.00	14525.00	4357.50	0.00
88	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001090317	4451.76	1335.53	0.00	3230.76	969.23	0.00	3230.76	969.23	0.00	2656.00	796.80	0.00
89	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401001130317	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776.36	232.91	0.00
90	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401001090318	0.00	0.00	0.00	3120.00	936.00	0.00	3941.54	1182.46	0.00	6313.46	1894.04	0.00
91	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	राज्य स्कीम	1-2401001090319	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664.00	199.20	0.00
92	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001080320	67.29	20.19	0.00	134.94	40.48	0.00	134.94	40.48	0.00	106.70	32.01	0.00
93	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890323	291.26	87.38	0.00	1200.00	360.00	0.00	1200.00	360.00	0.00	1600.00	480.00	0.00
94	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401001190324	1029.26	308.78	0.00	1560.00	468.00	0.00	1560.00	468.00	0.00	1455.82	436.75	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
95	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर०के०वी०वाई०) (ए०सी०ए०)	राज्य स्कीम	1-2401007960331	0.00	0.00	0.00	298.32	89.50	0.00	298.32	89.50	0.00	175.00	52.50	0.00
96	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890334	8.59	2.58	0.00	34.60	10.38	0.00	34.60	10.38	0.00	20.56	6.17	0.00
97	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890335	0.00	0.00	0.00	400.00	120.00	0.00	400.00	120.00	0.00	280.64	84.19	0.00
98	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890336	18.70	5.61	0.00	828.40	248.52	0.00	828.40	248.52	0.00	512.00	153.60	0.00
99	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007890338	333.06	99.92	0.00	550.38	165.11	0.00	400.00	120.00	0.00	262.03	78.61	0.00
100	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890339	0.00	0.00	0.00	800.00	240.00	0.00	1010.65	303.20	0.00	1217.05	365.12	0.00
101	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007890340	0.00	0.00	0.00	28.52	8.56	0.00	48.61	14.58	0.00	38.89	11.67	0.00
102	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007890341	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.86	25.76	0.00	179.68	53.90	0.00
103	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	राज्य स्कीम	1-2401007890343	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	38.40	0.00
104	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007890345	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.65	44.90	0.00
105	राष्ट्रीय तिलहन तथा ऑयल पाम मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960356	0.22	0.07	0.00	3.46	1.04	0.00	3.46	1.04	0.00	1.28	0.38	0.00
106	राष्ट्रीय बागवानी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960357	7.12	2.14	0.00	40.00	12.00	0.00	40.00	12.00	0.00	17.54	5.26	0.00
107	राष्ट्रीय संघारणीय कृषि मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960358	13.15	3.95	0.00	55.04	16.51	0.00	40.00	12.00	0.00	16.37	4.91	0.00
108	राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960359	14.10	4.23	0.00	120.00	36.00	0.00	120.00	36.00	0.00	100.00	30.00	0.00
109	राष्ट्रीय कृषि विस्तार तथा प्रौद्योगिकी मिशन	राज्य स्कीम	1-2401007960360	23.45	7.03	0.00	82.84	24.85	0.00	82.84	24.85	0.00	32.00	9.60	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
110	प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960361	0.00	0.00	0.00	80.00	24.00	0.00	101.06	30.32	0.00	76.06	22.82	0.00
111	नेशनल ई-गवर्नेंस प्लान - कृषि	राज्य स्कीम	1-2401007960362	0.00	0.00	0.00	2.85	0.86	0.00	4.86	1.46	0.00	2.43	0.73	0.00
112	परम्परागत कृषि विकास योजना	राज्य स्कीम	1-2401007960363	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.58	2.57	0.00	11.23	3.37	0.00
113	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	राज्य स्कीम	1-2401007960365	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	2.40	0.00
114	सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मेंकानाईजेशन	राज्य स्कीम	1-2401007960367	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.35	2.81	0.00
115	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	1-2401001090419	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1234.19	370.26	0.00
116	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	1-2401007890443	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237.91	71.37	0.00
117	नेशनल मिशन ऑफ एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एण्ड टेक्नोलॉजी	केन्द्रीय क्षेत्र स्कीम	1-2401007960465	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.87	4.46	0.00
118	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट	राज्य स्कीम	1-2401001090514	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	24.90	0.00
119	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	1-2401007890532	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16.00	4.80	0.00
120	एग्रीबिजनस इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलेपमेंट प्रोजेक्ट (वाह्य समपोषित परियोजना)	राज्य स्कीम	1-2401007960554	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.30	0.00
कुल योग-				128531.23	31823.65	0.00	217981.00	64692.30	0.00	219284.85	65785.47	0.00	220712.42	66213.75	0.00
महायोग-				128531.23	31823.65	0.00	217981.00	64692.30	0.00	219284.85	65785.47	0.00	220712.42	66213.75	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
1	प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम	स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय	43-2203001030001	68.52	0.00	68.52	98.69	0.00	98.69	98.69	0.00	98.69	98.69	0.00	98.69
2	स्नातक-पत्र पाठ्यक्रम-विश्व बैंक सम्पोषित पॉलिटेक्नीक शिक्षा सुदृढीकरण परियोजना	राज्य स्कीम	43-2203001050101	58.54	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम	राज्य स्कीम	43-2203001050106	0.00	0.00	0.00	111.35	89.08	0.00	111.35	89.08	0.00	301.90	241.52	0.00
कुल योग-				127.06	26.93	68.52	210.04	89.08	98.69	210.04	89.08	98.69	400.59	241.52	98.69
महायोग-				127.06	26.93	68.52	210.04	89.08	98.69	210.04	89.08	98.69	400.59	241.52	98.69

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णांकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णांकित (श्रेणी- 1)
1	अनुसूचित जाति के भवन	राज्य स्कीम	3-4059017890101	8412.94	2523.88	0.00	24243.84	7273.15	0.00	24243.84	7273.15	0.00	35000.00	10500.00	0.00
2	कृषि कार्यालय भवन	राज्य स्कीम	3-4059017890102	0.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	1200.00	0.00	0.00	720.00	216.00	0.00
3	अल्पसंख्यक छात्र एवं छात्राओं हेतु छात्रावास निर्माण (अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)	राज्य स्कीम	3-4225800510103	879.51	439.76	0.00	1000.00	0.00	0.00	1000.00	0.00	0.00	7700.00	3850.00	0.00
4	अनुसूचित जनजाति के भवन	राज्य स्कीम	3-4059017960104	24.16	7.25	0.00	1500.00	450.00	0.00	1500.00	450.00	0.00	12000.00	3600.00	0.00
5	कृषि कार्यालय भवन	राज्य स्कीम	3-4059017960105	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	45.00	13.50	0.00
6	कृषि कार्यालय भवन	राज्य स्कीम	3-4059010510119	244.73	0.00	0.00	3900.00	0.00	0.00	4680.00	0.00	0.00	3735.00	1120.50	0.00
कुल योग-				9561.34	2970.89	0.00	31743.84	7723.15	0.00	32743.84	7723.15	0.00	59200.00	19300.00	0.00
महायोग-				9561.34	2970.89	0.00	31743.84	7723.15	0.00	32743.84	7723.15	0.00	59200.00	19300.00	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
1	पुलिस भवनों का निर्माण एवं संधारण	राज्य स्कीम	22-4055000510101	19716.04	7975.14	0.00	15198.57	6147.82	0.00	14198.57	5743.32	0.00	14153.31	5725.01	0.00
कुल योग-				19716.04	7975.14	0.00	15198.57	6147.82	0.00	14198.57	5743.32	0.00	14153.31	5725.01	0.00
महायोग-				19716.04	7975.14	0.00	15198.57	6147.82	0.00	14198.57	5743.32	0.00	14153.31	5725.01	0.00

क्र०	परियोजना/कार्यक्रम	समूह शीर्ष	बजट शीर्ष	वित्तीय वर्ष 2015-2016 की वास्तविकी			वित्तीय वर्ष 2016-2017 में			वित्तीय वर्ष 2016-2017 के पुनरीक्षित प्राक्कलन			वित्तीय वर्ष 2017-2018 के लिए		
				बजट शीर्ष के अंतर्गत वास्तविकी	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	पुनरीक्षित बजट *	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)	बजट	महिलाओं के लिए कम से कम 30 प्रतिशत राशि कर्णाकित (श्रेणी- 2)	महिलाओं के लिए शत प्रतिशत कर्णाकित (श्रेणी- 1)
1	पर्यटकीय संरचनाओं का विकास	राज्य स्कीम	46-5452011010104	3759.08	0.00	0.00	2751.21	0.00	0.00	7051.21	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00
कुल योग-				3759.08	0.00	0.00	2751.21	0.00	0.00	7051.21	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00
महायोग-				3759.08	0.00	0.00	2751.21	0.00	0.00	7051.21	0.00	0.00	7147.17	2144.15	0.00

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

- 1. महिला विकास निगम :-** राज्य में महिलाओं को सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सशक्त करने के उद्देश्य से महिला विकास निगम की स्थापना की गयी है। राज्य के सभी जिलों में महिला विकास निगम के जिला स्तरीय कार्यालय की स्थापना की जा रही है।
(समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण निदेशालय))
- 2. मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना:- :-** “कन्या विवाह” योजना का उद्देश्य गरीब परिवार को विवाह के समय आर्थिक सहायता प्रदान करना, विवाह के निबंधन को प्रोत्साहित करना, कन्या शिक्षा को प्रोत्साहित करना तथा बाल विवाह को रोकना है। इस योजना के तहत, बी0पी0एल0 परिवार तथा ऐसे अन्य परिवार जिनकी आय 60000/- रुपये तक हो, की कन्या को विवाह के समय 5000/- (पाँच हजार) रुपये का भुगतान कन्या के नाम चेक/डिमांड ड्राफ्ट के द्वारा करना है।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)
- 3. मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना:- :-** यह योजना महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण की विशिष्ट योजना है। इस योजना का कार्यान्वयन महिला विकास निगम द्वारा किया जा रहा है।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)
- 4. मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना:- :-** इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन तथा कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन बसर कर रहे परिवारों में जन्म लेने वाली कन्याओं के लिए 2000/- (दो हजार) रुपये प्रति कन्या एकमुश्त अनुदान के रूप में राशि का सावधि जमा में निवेश आई0डी0बी0आई0 एवं यूको0 बैंक के माध्यम से किया जाता है। इस योजना का लाभ एक परिवार में जन्म लेनेवाली मात्र दो कन्याओं को देय है। कन्या के 18 वर्ष पूरा होने पर परिपक्वता मूल्य के समतुल्य राशि उपलब्ध करायी जाती है।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)
- 5. परवरिश:- :-** (क) अनाथ एवं बेसहारा बच्चे एवं (ख) एच0आई0वी0/एड्स/कुष्ठ रोग से पीड़ित बच्चे अथवा एच0आई0वी0/एड्स पीड़ित माता/पिता अथवा कुष्ठ रोग के कारण विकलांग माता-पिता की संतानें जो अपने निकटतम संबंधी अथवा रिस्तेदार के साथ रह रहे हैं, के पालन-पोषण करने वाले वैसे परिवार जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं एवं जिनका नाम बी0पी0एल0 सूची में सम्मिलित हो अथवा जिनकी वार्षिक आय रू0 60,000/- (साठ हजार) से कम हो, को प्रोत्साहित करने के लिए अनुदान भत्ता एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान किया जाता है।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)
- 6. अन्तर्जातीय विवाह योजना:- :-** हिन्दू समाज में व्याप्त जाति प्रथा के उन्मूलन हेतु अन्तर्जातीय विवाह करनेवाली महिलाओं को प्रोत्साहन स्वरूप आर्थिक सहायता प्रदान किया जाता है। इस योजनान्तर्गत अन्तर्जातीय विवाह करने वाली महिला को 50000/- रुपये की राशि का भुगतान राष्ट्रीयकृत बैंक के फीक्स्ट डिपोजिट के रूप में किया जाता है। इसकी अवरुद्धता अवधि न्यूनतम तीन वर्ष है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस योजना के क्रियान्वयन हेतु महिलाओं को दी जानेवाली राशि को 50000/- रुपये से बढ़ाकर 100000/- रुपये की गई है।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)
- 7. बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग:- :-** बाल अधिकार विशेषतया पारिवारिक संरक्षण से वंचित यथा निराश्रित, उपेक्षित, अनैतिक पणन के शिकार, शोषण के शिकार बालकों के अधिकारों के संरक्षण एवं उनके हनन के मामलों में त्वरित कार्रवाई हेतु बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम, 2005 को अधिसूचित किया गया है।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)
- 8. बाल संरक्षण इकाई की स्थापना:- :-** किशोर न्याय (बालकों के देखरेख एवं संरक्षण) संशोधन अधिनियम, 2006 के धारा 62ए के बाध्यकारी प्रावधानों के अनुसार राज्य स्तरीय बाल संरक्षण एकक (एक) एवं जिला स्तरीय बाल संरक्षण एककों (38) का गठन किया गया।
(समाज कल्याण विभाग-समाज कल्याण निदेशालय)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

9. समेकित बाल विकास योजना (स्थापना-आई0एस0एस0एन0आई0पी0 योजना सहित):- :- राज्य स्तरीय आई0सी0डी0एस0 निदेशालय, जिला स्तरीय 38 जिला प्रोग्राम कार्यक्रम एवं 544 बाल विकास परियोजनाएं स्वीकृत/संचालित हैं। इसके अन्तर्गत वर्तमान में 3288 महिला पर्यवेक्षिका, 91677 आंगनबाड़ी सेविका एवं 86237 आंगनबाड़ी सहायिका के स्वीकृत पद तथा भारत सरकार से नवस्वीकृत 23041 आंगनबाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) में 23041 आंगनबाड़ी सेविका, 21366 सहायिका एवं 922 महिला पर्यवेक्षिका का शत प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित है।

(समाज कल्याण विभाग-आई0सी0डी0एस0)

10. पूरक पोषाहार:- :- वित्तीय वर्ष 2014-15 से आई0सी0डी0एस0 के पुनर्गठन के आलोक में भारत सरकार द्वारा राज्य के सभी 38 जिलों के सभी स्वीकृत एवं संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर वर्धित दर से सभी सामान्य/कुपोषित बच्चों/गर्भवती एवं धातृ महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किए जाने का प्रवधान है।

(समाज कल्याण विभाग-आई0सी0डी0एस0)

11. आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पोषाक योजना (स्कीम):- :- वित्तीय वर्ष 2010-11 से पोषाक योजना का शुभारम्भ किया गया है। राज्य के सभी 544 बाल विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्कूल पूर्व शिक्षा प्राप्त कर रहे 3-6 वर्ष आयु के बच्चों को पूर्व से स्वीकृत 91677 आंगनबाड़ी केन्द्रों (मिनी सहित) पर 3558280 बच्चों तथा भारत सरकार से नव स्वीकृत 23041 आंगनबाड़ी केन्द्र (मिनी सहित) 888140 बच्चों को रूपये 250/- प्रति बच्चा वार्षिक लागत की दर पर पोषाक की राशि दिये जाने का लक्ष्य है।

(समाज कल्याण विभाग-आई0सी0डी0एस0)

12. किशोरियों के सशक्तिकरण हेतु राजीव गाँधी स्कीम ('सबला'):- :- राज्य के 12 जिलों यथा पटना, बक्सर, गया, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, प0 चम्पारण, वैशाली, सहरसा, किशनगंज, कटिहार, बांका एवं मुंगेर में किशोरी बालिकाओं के सशक्तिकरण के लिए "सबला" कार्यक्रम वित्तीय वर्ष 2011-12 से प्रारम्भ किया गया है, जिसके तहत किशोरी बालिकाओं को स्वावलंबी बनाने के साथ साथ पूरक पोषाहार भी प्रदान किया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग-आई0सी0डी0एस0)

13. इन्दिरा गाँधी मातृत्व सहयोग योजना सहित राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन:- :- राज्य के 2 जिलों-वैशाली एवं सहरसा में यह योजना वर्ष 2011-12 से लागू किया गया है। इस योजना के तहत गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को भारत सरकार द्वारा 6000/- रू0 की नगद प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में प्रदान किए जाने का प्रावधान है। भारत सरकार द्वारा केन्द्रांश एवं राज्यांश का अनुपात 60:40 निर्धारित है। इस योजना के तहत 92073 गर्भवती एवं शिशुवती महिलाओं को मातृत्व अनुदान एवं राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण मिशन के कार्यकलापों के सफल संचालन हेतु राशि उपलब्ध कराने का लक्ष्य है।

(समाज कल्याण विभाग-आई0सी0डी0एस0)

14. आंगनबाड़ी केन्द्र का भवन निर्माण/उत्क्रमण/मरम्मत कार्य:- :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में 12000 आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। आंगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण से आंगनबाड़ी केन्द्र के बच्चों के लिए पठन-पाठन, पोषाहार कार्यक्रम आदि के संचालन में सुविधा होगी।

(समाज कल्याण विभाग-आई0सी0डी0एस0)

15. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना:- :- इसके अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 60-79 आयु वर्ग के वृद्ध व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह तथा 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के वृद्ध व्यक्ति को 500/- रू0 प्रतिमाह का दर से पेंशन दिया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

16. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना:- :- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 40-79 आयु वर्ग की विधवा महिला को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

17. इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना:- :- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-79 आयु वर्ग के 80 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले निःशक्त व्यक्ति को रू0 400/- प्रतिमाह पेंशन दिया जाता है, जिसमें रू0 300/- केन्द्र सरकार द्वारा एवं रू0 100/- राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है।

(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

18. राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत बी0पी0एल0 परिवार के 18-60 वर्ष आयु वर्ग के कमाउ सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उनके आश्रित को एकमुश्त 20000/- रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
19. लक्ष्मीबाई समाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष से अधिक की विधवा जो या तो बी0पी0एल परिवार की हो या जिनके परिवार की वार्षिक आय 60,000/- रुपये से अधिक न हो तथा जो इन्दिरा गाँधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित न हो पायी हो, को 400/- रु0 प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
20. बिहार निःशक्तता पेंशन योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत किसी भी आयु एवं उम्र के 40 प्रतिशत या उससे अधिक विकलांगता वाले व्यक्ति को 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
21. राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत 60-64 वर्ष आयु के वैसे वृद्ध व्यक्ति जिनकी वार्षिक आय शहरी क्षेत्र में रु0 5500/- एवं ग्रामीण क्षेत्र में रु0 5000/- से कम हो तथा किसी भी आयु एवं उम्र के विमुक्त बंधुआ मजदूर को रु0 400/- प्रतिमाह की दर से पेंशन दिया जाता है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
22. कबीर अन्त्येष्टि अनुदान योजना:- :- इस योजना के अन्तर्गत बी0पी0एल0 परिवार के किसी भी आयु वर्ग के व्यक्ति की मृत्यु पर उसकी अन्त्येष्टि हेतु परिवार को 3000/- रु0 की एकमुश्त सहायता दी जाती है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
23. मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना:- :- इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उम्र के व्यक्ति की दुर्घटना में मृत्यु या 18-60 आयु वर्ग के व्यक्ति की अपराधिक घटना में मृत्यु होने की स्थिति में उसके आश्रित परिवार/निकटतम संबंधी को एकमुश्त 20000/- रु0 की सहायता दी जाती है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
24. मुख्यमंत्री विकलांग सशक्तिकरण योजना 'सम्बल':- :- इस योजना के अंतर्गत विकलांग व्यक्तियों को छात्रवृत्ति देना, कृत्रिम अंग एवं विशेष उपकरण का निःशुल्क वितरण, शिक्षा एवं स्वरोजगार ऋण, मानसिक विकलांग बच्चों तथा दृष्टिहीन एवं मूक बधिर बालिकाओं हेतु दिवाकालीन विशेष विद्यालय का संचालन, मानसिक विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास हेतु आश्रयगृह का संचालन, सर्वेक्षण एवं प्रमाणीकरण आदि किया जाता है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
25. बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना:- :- इसके अन्तर्गत कुष्ठ रोगी को भोजनादि हेतु 1500/- रूपया प्रतिमाह आर्थिक सहायता दी जाती है । इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
26. मुख्यमंत्री भिक्षावृत्ति निवारण योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत राज्य के भिक्षुकों को भिक्षावृत्ति से मुक्त करने एवं उनके स्वरोजगार/शिक्षा आदि की व्यवस्था की जाती है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
27. बिहार एड्स पीड़ित कल्याण योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत राज्य के एड्स रोगियों को चिकित्सा आदि की सुविधा बिहार एड्स कन्ट्रोल सोसाईटी की सहायता से करने का प्रस्ताव विचाराधीन है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

- 28. वृद्धाश्रम निर्माण:-** :- पटना, पूर्णिया तथा गया जिला में भवन निर्माण विभाग के माध्यम से वृद्धाश्रम निर्माण किया जाना है । तीनों जिलों में जमीन उपलब्ध हो गया है ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
- 29. ओल्ड एज होम (सहारा):-** :- सहारा कार्यक्रम के तहत वृद्धजनों के हितार्थ स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से पटना, गया, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर तथा भागलपुर में वृद्धाश्रम संचालित किए जा रहे हैं । इसमें प्रति वृद्धाश्रम 50 वृद्धजनों को आवासन का लाभ दिया जाएगा ।
(समाज कल्याण विभाग-समाजिक सुरक्षा एवं निःशक्तता निदेशालय)
- 30. छात्रवृत्ति योजना :-** :- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के छात्र/छात्राओं के लिए विद्यालय स्तर से महाविद्यालय स्तर तक विभिन्न प्रकार के छात्रवृत्ति योजनाओं के माध्यम से लाभ पहुँचाया जाता है। प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के तहत सम्पूर्ण फीस के साथ मासिक छात्रवृत्ति केन्द्र सरकार के नियम के अनुसार प्रदान किया जाता है।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)
- 31. मुख्यमंत्री अनु0जाति एवं अनु0जनजाति मेधावृत्ति योजना:-** :- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति के वैसे छात्र/छात्रा जो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से दसवीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण होंगे, उन्हें मुख्यमंत्री अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति मेधा वृत्ति योजना के तहत 10,000/- देने की योजना 2008-09 से प्रारंभ की गई है। वित्तीय वर्ष 2015-16 से दसवीं की परीक्षा द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्र/छात्रा को 8000(आठ हजार रुपये) की दर से, एवं बारहवीं कक्षा में प्रथम श्रेणी एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अनु0जाति एवं अनु0जनजाति के छात्राओं को प्रति छात्रा क्रमशः 15000(पंद्रह हजार) एवं 10000(दस हजार) रुपये प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया गया है ।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)
- 32. आवासीय विद्यालय :-** :- अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं के लिए 65 तथा अनु0 जनजाति छात्रों के लिए 15 आवासीय विद्यालय स्वीकृत हैं, जिसमें से 35 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए संचालित हैं । अनु0जनजाति के लिए दो एकलव्य आवासीय विद्यालय यथा प0चम्पारण एवं कटिहार जिला में स्वीकृति दी गयी है तथा 300 आवासन वाले पांच आवासीय विद्यालयों क्रमशः किशनगंज, बांका, जमुई, भागलपुर एवं गया जिला में स्थापित करने की स्वीकृति दी गई है । इसी प्रकार से थरूहट क्षेत्र में 10 अनु0जनजाति आवासीय उच्च विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई है, जिसमें 5 आवासीय विद्यालय बालिकाओं के लिए है।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)
- 33. छात्रावास :-** :- वर्तमान में अनु0 जाति एवं जनजाति के छात्र/छात्राओं के आवासन की सुविधा हेतु छात्रावास संचालित हैं। इन छात्रावासों में अनु0जाति के छात्राओं के लिए 7 एवं अनु0जनजाति के छात्राओं के लिए 1 छात्रावास संचालित है।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)
- 34. प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र :-** :- वर्तमान में पटना, भागलपुर, दरभंगा, गया, मुजफ्फरपुर, सारण एवं आरा जिलों में अनु0 जाति के छात्र/छात्राओं लिए 7 प्राक् परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है ।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)
- 35. अनु0 जाति और अनु0 जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम,1989 के अन्तर्गत सहायता :-** अनु0 जाति एवं अनु0 जनजातियों के अत्याचार पीड़ितों को सहायता प्रदान करने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के तहत महिलाओं को भी राहत राशि प्रदान की जाती है।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)
- 36. अनु0 जाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता योजना :-** :- इस योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति के पुरुष एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु ऋण के साथ अधिकतम 10000/-अनुदान प्रदान किया जाता है ।
(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

37. अनु0 जनजाति उपयोजना के तहत विशेष केन्द्रीय सहायता:- :- इस योजना के अन्तर्गत अनु0 जाति के पुरुष एवं महिलाओं के आर्थिक उत्थान हेतु अनुदान प्रदान किया जाता है ।

(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

38. महादलित विकास :- :- महादलितों के विकास हेतु सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, 1860 के तहत बिहार महादलित विकास मिशन संस्था का गठन किया गया है । महादलित विकास मिशन के माध्यम से महादलितों के विकास हेतु कई प्रकार के आर्थिक उन्नयन, आधारभूत संरचना की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है । राज्य के विभिन्न जिलों में 9460 विकास मित्रों का चयन किया गया है इसमें 50 प्रतिशत महिलायें हैं । सामुदायिक रेडियो योजना के तहत 19 रेडियो स्टेशन खोलने का निर्णय लिया गया है । दशरथ मांझी कौशल विकास योजना के तहत महादलित परिवार के युवक/युवतियों के कौशल विकास हेतु चयनित संस्थाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण दिये जाने का प्रावधान है । महादलित परिवारों के लिए शौचालय योजना का संचालन किया जा रहा है।

(अनु0 जाति एवं अनु0 जनजाति कल्याण विभाग)

39. ग्रामीण जलापूर्ति योजना:- :- नाबार्ड से दो बहुग्रामीण पेयजल आपूर्ति योजना की स्वीकृति प्राप्त हुई है । इसमें महिलाओं के विकास पर होने वाला खर्च लगभग 30 प्रतिशत अनुमानित है ।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

40. स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) कार्यक्रम:- :- इसके तहत बी0पी0एल0 तथा चिन्हित श्रेणी के ए0पी0एल0 परिवारों एवं महिला प्रमुख के घरों में शौचालय के निर्माण हेतु 12000/- रु0 प्रोत्साहन राशि दी जा रही है ।

(लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग)

41. मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को सहायता योजना:- :- इस योजना के तहत अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता महिलाओं को स्वरोजगार हेतु एकमुश्त 10,000/- (दस हजार रुपये) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

42. अल्प संख्यक छात्र/छात्राओं को लोक सेवा आयोग की तैयारी हेतु कोचिंग योजना:- :- इस योजना के अंतर्गत कुल बजट उपबंध का 30 प्रतिशत राशि अल्पसंख्यक छात्राओं के कोचिंग के लिए कर्णांकित है ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

43. अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना:- :- यह राज्य योजना है । इस योजना के लिए 50 प्रतिशत राशि बालिका छात्रावास के लिए कर्णांकित है।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

44. मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना:- :- यह राज्य योजना है । इस योजना के तहत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को रु0 10,000/- एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्र/छात्राओं को रु0 8000/- एवं 12वीं परीक्षा में प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को क्रमशः रुपये 15000/- एवं रुपये 10,000/- की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

45. अल्पसंख्यको का बहुक्षेत्रक विकास योजना:- :- केन्द्र प्रायोजित -प्री मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक एवं मेधा-सह- आय आधारित छात्रवृत्ति पूर्णतः केन्द्र पोषित योजना है । इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को पठन-पाठन में आर्थिक सहयोग करना है ।

(अल्पसंख्यक कल्याण विभाग)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

46. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना:- :- इस योजना के तहत 14 से 18 आयु वर्ग के बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा सुगमता पूर्वक प्रदान करना है । सामाजिक, आर्थिक एवं लिंगभेद विषमता को दूर करना, छात्रों के गुणात्मक विकास के लिए पाठ्यक्रम में सुधार करते हुए शिक्षकों की नियुक्ति एवं प्रशिक्षित करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ।

(शिक्षा विभाग)

47. बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना:- :- राज्य सरकार के सुशासन के कार्यक्रम 2015-20 के अंतर्गत विकसित बिहार के सात निश्चय के अंतर्गत 12वीं कक्षा उत्तीर्ण ऐसे विद्यार्थी जो आर्थिक कारणों से उच्च शिक्षा प्राप्त करने से वंचित हो जाते हैं, को आर्थिक सहायता पहुँचाने के उद्देश्य से बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया है, ताकि विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में सुविधा हो सके । इस योजना के अंतर्गत बैंकों से जोड़कर 12वीं कक्षा उत्तीर्ण प्रत्येक इच्छुक विद्यार्थी को शिक्षा ऋण उपलब्ध कराने का उद्देश्य है ।

(शिक्षा विभाग)

48. महिला समख्या कार्यक्रम:- :- सर्व शिक्षा अभियान केन्द्रीय योजना में महिलाओं को आत्मनिर्भर, स्वावलम्बन एवं प्रशिक्षित करने हेतु राशि स्वीकृत की जाती है । यह योजना शत प्रतिशत महिलाओं के लिए है ।

(शिक्षा विभाग)

49. पंचायत/जिला परिषद शिक्षकों के नियोजन में महिलाओं की भागिदारी:- :- स्थानीय निकायों के नगरों, पंचायतों, प्रखंडों, जिला परिषदों के प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षकों के नियोजन में महिला अभ्यर्थियों को 35 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई, जिससे समाज में महिलाओं की प्रतिष्ठा/सम्मान में वृद्धि हुई है और उनकी भागीदारी से आयवर्द्धक नेतृत्व विकास की भावना विकसित होती है । यह योजना महिलाओं को पुरुष के बराबर अधिकार दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो रही है ।

(शिक्षा विभाग)

50. मुख्यमंत्री बालिका साईकिल योजना:- :- 9वीं कक्षा में अध्ययनरत बालिकाओं को प्रति बालिका 2500/- रुपये की राशि साईकिल क्रय के लिए उपलब्ध करायी जाती है । इससे बालिकाओं में आत्मविश्वास जागृत होता है एवं दूर-दराज इलाके की बालिकाओं को माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा प्राप्त करने में सहुलियत होती है ।

(शिक्षा विभाग)

51. मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना:- :- राज्य के प्रारम्भिक विद्यालयों के वर्ग-3 से 5वीं तक के सभी छात्राओं को प्रति छात्रा 500/- (पांच सौ) रुपये, माध्यमिक विद्यालय के वर्ग-6 से 8 में नामांकित तथा उपस्थित होने वाली प्रत्येक छात्रा को 700/- (सात सौ) रुपये एवं वर्ग-9वीं से 12वीं तक के छात्राओं को प्रति छात्रा 1000/- रुपये की राशि पोशाक के लिए उपलब्ध करायी जाती है । बालिका शिक्षा को उच्च स्तर पर बढ़ावा देने हेतु इस योजना का संचालन किया जा रहा है ।

(शिक्षा विभाग)

52. मुख्यमंत्री किशोरी स्वास्थ्य कार्यक्रम योजना:- :- इस योजना के तहत 12 वर्ष से अधिक उम्र की विद्यालयों में नामांकित सभी बालिकाओं को प्रजनन स्वास्थ्य के संबंध में सामान्य जानकारी एवं माहवारी स्वास्थ्य तथा प्रबंधन के संबंध में विशिष्ट जानकारी प्रदान की जा रही है । साथ ही माहवारी चक्र के दौरान स्वच्छता सुनिश्चित करने हेतु आवश्यकतानुसार शिक्षिकाओं के माध्यम से निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराकर उसके निस्तार के संबंध में जानकारी दी जा रही है ।

(शिक्षा विभाग)

53. बिहार बाल भवन किलकारी योजना:- :- बाल भवन 'किलकारी' के संचालन हेतु बिहार सरकार प्रतिबद्ध है । इस योजना से 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को मानसिक रूप से सुदृढ़ किया जाता है ताकि लड़कों एवं लड़कियों में कोई भेद-भाव न रहे । लड़कियों को समाज के मुख्य धारा में लाने में किलकारी एक महत्वकांक्षी योजना बन गई है ।

(शिक्षा विभाग)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

54. मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना:- :- इस योजना का उद्देश्य छात्राओं के शैक्षणिक स्तर में वृद्धि कर विकास की मुख्य धारा में जोड़ना है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की दसवीं परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण सभी छात्राओं को प्रति छात्रा रू0 10000/- की राशि दी जाती है। सरकारी विद्यालयों, अनुदानित माध्यमिक विद्यालयों, प्रस्वीकृत मदरसा एवं संस्कृत (सहायता प्राप्त) विद्यालयों में नामांकित सभी कोटि की कक्षा 1 से 10 तक की छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाती है। कक्षा 1 से 4 के लिए 50/- (पचास) रुपये कक्षा 5 से 6 तक 100/- (एक सौ) रुपये तथा 7 से 10 तक 150/- (एक सौ पचास) रुपये प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति प्रावधानित है। इस योजना से समाज के कमजोर एवं वंचित वर्ग के छात्राओं की शिक्षा में भागीदारी बढ़ी है जो राज्य के मानव विकास का सूचक है।

(शिक्षा विभाग)

55. कराटे प्रशिक्षण:- :- राज्य के राजकीय/राजकीयकृत/अल्पसंख्यक/बुनियादी विद्यालयों में बालिकाओं को आत्मरक्षार्थ कराटे प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है। यह योजना शतप्रतिशत महिलाओं के लिए है। इस योजना के द्वारा बालिकाओं में हीन भावना दूर होती है तथा वे शारीरिक एवं मानसिक रूप से मजबूत बनती हैं। इस प्रशिक्षण के द्वारा लड़कियां छेड़खानी करने वालों से आत्मरक्षा कर सकती हैं।

(शिक्षा विभाग)

56. प्रौढ़ शिक्षा:- :- साक्षरता दर बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौढ़ शिक्षा को बढ़ावा दिया है। इस योजना द्वारा प्रौढ़ महिलाओं को साक्षर बनाकर, साक्षर महापरीक्षा का प्रत्येक वर्ष आयोजन किया जाता है।

(शिक्षा विभाग)

57. राजकीय महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय:- :- राज्य सरकार महिलाओं के अध्यापन के लिए काफी प्रयासरत है। राज्य में महिलाओं के लिए विद्यालय एवं महाविद्यालयों की स्थापना अलग से की जा रही है। सरकार का यह कदम लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है।

(शिक्षा विभाग)

58. कस्तूरबा गाँधी बालिका आवासीय विद्यालय:- :- कस्तूरबा गाँधी आवासीय बालिका विद्यालय का मुख्य उद्देश्य समाज के सुविधा वंचित समूहों-अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के बालिकाओं को प्रारम्भिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।

(शिक्षा विभाग)

59. आई0सी0टी0 परियोजना:- :- इंटीग्रेटेड कम्प्यूटर ट्रेनिंग परियोजना के द्वारा राज्य के माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर ट्रेनिंग की व्यवस्था की जा रही है। इसमें राज्य के बालक/बालिकाओं को मुफ्त कम्प्यूटर शिक्षा देने की व्यवस्था है। इसके द्वारा एक ओर लड़कियों में सामानता- भाव पनप रही है तथा दूसरी ओर रोजगार के अवसर भी आसानी से पा रही है।

(शिक्षा विभाग)

60. राजकीय महिला महाविद्यालय:- :- राज्य की लड़कियों को उच्च शिक्षा हेतु राजकीय महिला विद्यालय गुलजारबाग तथा गर्दनीबाग की स्थापना की गई है।

(शिक्षा विभाग)

61. आदर्श दम्पति योजना:- :- इस योजना के माध्यम से नवविवाहित को विवाह के दो साल के पश्चात् ही प्रथम संतान उत्पन्न करने तथा दो बच्चे के जन्म के मध्य कम-से-कम तीन वर्षों का अंतराल रखने के लिए प्रेरित किया जाता है। इसके साथ ही दो संतानों के पश्चात बन्ध्याकरण कराने हेतु भी लक्षित दम्पतियों को प्रेरित किया जाता है।

(स्वास्थ्य विभाग)

62. जननी एवं बाल सुरक्षा योजना:- :- मातृ एवं शिशु मृत्यु दर में वांछित कमी लाने हेतु संस्थागत प्रसव को बढ़ावा देने के लिए इस योजना के अन्तर्गत प्रोत्साहन राशि का प्रावधान है। प्रत्येक गर्भवती महिला को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 1400/- रू0 एवं 1000/- रू0 की राशि देय है। इसी प्रकार आशा/आंगनबाड़ी सेविका को ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में क्रमशः 400/- रू0 एवं 200/- रू0 की राशि देय है।

(स्वास्थ्य विभाग)

महिलाओं एवं बालिकाओं के लाभ के लिए महत्वपूर्ण योजनाओं की संक्षिप्त विवरणी

- 63. ममता कार्यक्रम:-** :- इसमें अनुसूचित जाति विशेषकर रविदास समूह की महिलाएं होती हैं जो गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशु के देख-रेख हेतु नियुक्त की जाती हैं। इसमें प्रति प्रसव सौ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।
(स्वास्थ्य विभाग)
- 64. आशा कार्यक्रम:-** :- इसके अन्तर्गत मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में महिलाओं का चयन होता है। सामान्यतः एक हजार की आबादी अथवा एक आंगनबाड़ी केन्द्र में एक महिला आशा कार्यकर्ता के रूप में कार्यरत रहती है। इनको पारिश्रमिक के तौर पर एन0आर0एच0एम0 के तहत प्रोत्साहन राशि के रूप में भुगतान किया जाता है।
(स्वास्थ्य विभाग)
- 65. मुख्यमंत्री शताब्दी इन्दिरा आवास प्रोत्साहन योजना:-** :- इन्दिरा आवास की द्वितीय किस्त की राशि प्राप्त कर दो माह के अन्दर पूर्ण कर लेने वाले अनु0 जाति/जनजाति लाभार्थियों को दो हजार रू0 मुख्यमंत्री शताब्दी इन्दिरा आवास प्रोत्साहन योजनान्तर्गत दिया जाता है।
(ग्रामीण विकास विभाग)
- 66. प्रधानमंत्री आवास योजना:-** :- नवम्बर, 2016 से इन्दिरा आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गृह विहीन लोगों को 2022 तक आश्रय उपलब्ध कराना है। अनु0 जाति, जनजाति और मुक्त बंधुआ मजदूर परिवारों तथा गरीबी रेखा के नीचे के वंचित परिवारों को गृह निर्माण हेतु मैदानी क्षेत्रों में 120000/- एवं पहाड़ी क्षेत्रों में 130000/- रू0 की सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है।
(ग्रामीण विकास विभाग)
- 67. बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन परियोजना (जीविका):-** :- यह परियोजना विश्व बैंक के सहयोग से बिहार राज्य ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (बी0आर0एल0पी0एस0) द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। परियोजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं का सामाजिक एवं आर्थिक सशक्तीकरण है। इसका लक्ष्य स्वयं सहायता समूहों का गठन कर उन्हें संस्थागत क्षमता विकसित कर आमदनी बढ़ाना है। इस योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य ग्रामीण जीविका प्रोत्साहन समिति के द्वारा किया जा रहा है। प्रारंभ में इस परियोजना का कार्यान्वयन कुछ ही जिलों में किया जा रहा है। लेकिन अब इसका राज्य के 38 जिलों के 534 प्रखंडों में चरणबद्ध तरीके से विस्तार किया जाना है।
(ग्रामीण विकास विभाग)
- 68. महादलित विकास योजना:-** :- महादलित विकास योजनान्तर्गत वास रहित महादलित परिवारों के लिए 5 डि0 रैयती भूमि क्रय करके प्रत्येक महादलित परिवार को उपलब्ध कराने की योजना है। यह योजना शत-प्रतिशत महिलाओं के लिए है।
(राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग)
- 69. कौशल विकास मिशन के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम:-** :- वित्तीय वर्ष 2017-18 में कौशल विकास कार्यक्रम के तहत 15000 युवक/युवतियों को रोजगार हेतु विभिन्न ट्रेड में प्रशिक्षण करना है।
(उद्योग विभाग)
- 70. हस्तकरघा प्रक्षेत्र का विकास:-** :- हस्तकरघा बुनकर एवं रंगरेज हेतु सामान्य सुलभ केन्द्रों की स्थापना की जायेगी, जिसमें कटाई, बुनाई, रंगाई इत्यादि की सुविधा महिलाओं को भी उपलब्ध करायी जायेगी। राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित मेला/उत्सव/सेमिनार में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है।
(उद्योग विभाग)



Copyright 2017 Finance Department, Govt. of Bihar